हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

8 नवम्बर, 2001

खण्ड 3, अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय सूचि

वीरवार, 8 नवम्बर, 2001

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	1
अति विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत	10
शोक प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	10
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	21
वाक-आउट	28
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	29
अति विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत	37
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	37
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	42
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	52

मूल्य :

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	60
हरियाणा राज्य में गृह करों के संबंध में नई नीति बनाने संबंधी वक्तव्य—	60
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी नगर विकास राज्य मंत्री द्वारा घोषणाएं—	61
(क) अध्यक्ष द्वारा—	61
(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूचि	75
(ii) याचिका समिति	75
(iii)श्री चन्द्र भाटिया एम0एल0ए0 की रिहाई	75
(iv)अनुपस्थिति की अनुमति	75
(ख) सचिव द्वारा—	76
(i) राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	76
(ii) संविधान (इक्यानवां संशोधन) विधेयक, 2000 के अनुसमर्थन के संबंध में राज्य सभा से प्राप्त दस्तावेज	76
नियम 30 के निलम्बन के लिए नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	77
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	77
श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0 एल0 ए0 द्वारा	79
बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	80
सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज-पत्र	81

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

बीरवार, 8 नवम्बर, 2001

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14-00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): सम्मानित सदस्यगण, पिछले अधिवेशन और आज के इस अधिवेशन के बीच के इस अर्से में इस प्रदेश के कई सम्मानित व्यक्तित्व हमके छोड़कर इस संसार से चले गए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का सदन को अवसर मिला है। डा० जे० पी० शर्मा हरियाणा विधान सभा के सदस्य थे।

डा० जे० पी० शर्मा हरियाणा विधान सभा के सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के सदस्य डॉ० जे० पी० शर्मा के 31 अक्तूबर, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 14 अक्तूबर, 1938 को हुआ। उन्होंने 1966 में एम०एस० की डिग्री प्राप्त की और वह 1971 तक मेडीकल कालेज, लुधियाना में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। मैडीकल ऐसोसिएशन के वे प्रदेश के अध्यक्ष थे और 1990 में जब मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब उनकी अध्यक्षता में पूरे देश के डाक्टरों का सम्मेलन यमुनानगर में बुलाया गया था। वे अच्छे डॉक्टर थे। व्यक्तिगत तौर पर मेरा उनसे बहुत अच्छा मिलवर्तन था, वे एक नेक इंसान थे। आज एक अच्छे राजनैतिज्ञ, एक अच्छे डॉक्टर, एक नेक इंसान संसार से चले गए। वर्ष 2000 में वह हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

राव दलीप सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री राव दलीप सिंह के 13 जुलाई 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 4 अक्तूबर, 1931 को हुआ। वह विधि स्नातक थे। वह 1976, 1968, 1972 और 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा जनवरी 1981 से मई 1982 तक मंत्री रहे। मुझे उनके साथ 1971-72 में विधान सभा सदस्य रहने का अवसर मिला। व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध थे। वे एक अच्छे राजनेता और नेक इंसान थे । पार्टी के तौर पर हमारी पार्टी ने उनकी सेवाओं का भरपूर लाभ उठाया था। वे इस संसार से चले गये।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

श्री रेलू राम पूनिया, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रेलू राम पूनिया तथा उनके परिवार के सदस्यों की 24 अगस्त, 2001 को हुई निर्मम हत्या पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री रेलू राम का जन्म 4 अप्रैल, 1952 को हुआ। व्यवसाय से कृषक श्री रेलू राम 1996 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। वह कई सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सेठ लछमन दास बजाज, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सेठ लछमन दास बजाज के 21 सितम्बर, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 8 फरवरी, 1921 को हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वह 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह कई सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। उनकी सोशल सर्विस का करनाल में बड़ा भारी योगदान था। व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं वे एक अच्छे और नेक इंसान के साथ साथ एक अच्छे राजनेता थे उसका सबूत यह है कि करनाल के साथ साथ विशेष रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश में उनकी कमी महसूस हुई है।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक- संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री चन्द्र भान, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्र भान के 27 सितम्बर, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

85 वर्षीय श्री चन्द्र भान स्नातक थे। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और वह दो वर्ष के लिए जेल गए। वह 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह कई सासमाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री गंगा राम, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गंगा राम के 24 अक्तूबर, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

वह 65 वर्ष के थे। वह 1974 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह कई सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री माधव राव सिंधिया, संसद सदस्य और भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री

यह सदन संसद सदस्य और पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री माधव राव सिंधिया के 30 सितम्बर, 2001 को हुए दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री सिंधिया का जन्म 10 मार्च, 1945 को हुआ। उन्होंने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। वह 1971, 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998 व 1999 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वह 1984 से 1989 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे तथा 1991-93 और 1995-96 के दौरान केन्द्रीय मंत्री रहे। युवा कल्याण और खेलों के स्तर को ऊंचा करने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। वह 1990 से 1993 तक भारतीय क्रिकेट कण्ट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वे एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक अच्छे राजनेता और नेक इन्सान थे। आज पूरा देश उनकी कमी महसूस करता है।

उन्होंने कई देशों का दौरा किया उन्होंने इंग्लैंड,फ्रांस, अल्जीरिया, तुर्की, आस्ट्रिया, सोवियत संघ, जापान, आस्ट्रेलिया, ईराक, इण्डोनेशिया, मलेशिया, बीजिंग और पश्चिम जर्मनी में भारत के कई प्रतिनिधि मण्डलों का नेतृत्व किया।

उनके निधन से देश एक प्रख्यात सांसद एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री बी.के. नेहरू, भूतपूर्व राज्यपाल एवं राजनयिक

यह सदन भूतपूर्व राज्यपाल एवं राजनयिक श्री बी०के० नेहरू के 31 अक्तूबर, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 4 सितम्बर, 1909 को हुआ। उन्होंने 1934 में आई.सी.एस. में प्रवेश किया। वह 1961 से 1968 तक अमेरिका में भारत के राजदूत और 1973 से 1977 तक ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रहे। वह 1966 से 1973 तक असम और नागालैण्ड, 1972-73 के दौरान मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 1981 से 1984 तक जम्मू और कश्मीर तथा 1984 से 1986 तक गुजरात के राज्यपाल रहे। वह पद्म विभूषण से अलंकृत थे। उन्होंने विभिन्न पदों पर रह कर कुशलता से देश की सेवा की। वह 1988 से 2000 तक ट्रिब्यून समाचार पत्र समूह से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से देश एक कुशल राजनयिक तथा योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

श्री कर्म सिंह, स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन श्री कर्म सिंह, स्वतन्त्रता सेनानी के 5 नवम्बर, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1919 में हुआ। वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के आह्वान पर 20 वर्ष की आयु में आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये। वह सात वर्ष सिंगापुर जेल में रहे। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने उनकी योग्यता और निष्ठा को देखते हुए उन्हें लैफ्टिनैंट की उपाधि से विभूषित किया। वह 1948 से 1964 तक जगाधरी नगरपालिका के प्रधान रहे। श्री कर्म सिंह की देश के प्रति की गई सेवाओं को देखते हुए उन्हें 1972 में ताम्र-पत्र से सम्मानित किया गया। उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी व सच्चे देशभक्त की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री चूहड़ सिंह, स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन श्री चूहड़, स्वतन्त्रता सेनानी के 4 नवम्बर, 2001 हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री चूहड़ सिंह 82 वर्ष के थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़चढ़ कर भाग लिया और वह 14 वर्ष जेल में रहे। वह काफी समय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साथ जापान और सिंगापुर में रहे। आजादी के बाद वह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। वह 1968 में सूबेदार के पद से सेवा निवृत्त हुए।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी व सच्चे देशभक्त की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोग

यह सदन 11 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सैंटर तथा पैंटागन में आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति गहरा शोक प्रकट करता है।

विश्व इतिहास में आतंकवाद की ऐसी भयंकर घटना पहले कभी नहीं हुई। यह एक शर्मनाक एवं जघन्य अपराध तथा मानवता पर हमला था । इस घटना ने सारे विश्व को स्तब्ध व शोकाकुल कर दिया। आतंकवाद एक ऐसी बुराई है, जो सारे विश्व के लिए चुनौती है। सभी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए किये जा रहे प्रयासों के अच्छे परिणाम निकलेंगे।

यह सदन इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है और शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोग

यह सदन 1 अक्तूबर, 2001 को जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर हुए आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

यह सदन आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है और शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिये अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया।

इन महान् शहीदों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. कमान्डैंट सहदेव दहिया, रोहतक
2. मेजर अमित आहूजा, अम्बाला
3. लैफ्टिनैंट कुलदीप सिंह, रोहतक
4. सहायक कमान्डैंट विकास भारद्वाज, कैथल
5. सहायक कमान्डैंट बी.के. यादव, गांव बासूदधा, रिवाड़ी
6. सूबेदार मेजर जगमाल सिंह, गांव मंधार, यमुनानागर
7. हवलदार अमरजीत सिंह, गांव मंधार, यमुनानगर
8. हवलदार राजपाल सिंह, गांव बरवाला, पंचकूला
9. हवलदार ईश्वर सिंह, गांव नगूरा, जीन्द
10. हवलदार बलवान सिंह, रोहतक
11. सिपाही सुनील कुमार, गांव खुबडू सोनीपत
12. पैराटरूपर दरबारा सिंह, गांव डेरादेव, करनाल
13. लांस नायक रामेश्वर, गांव कसौली, रिवाड़ी
14. सिपाही राजवीर सिंह, गांव ढाणी सांकरी, हिसार
15. सिपाही राजेश, गांव रेनकलां, भिवानी
16. नायक बतून सिंह, रोहतक
17. सिपाही बनवारी लाल, गांव छिलरो, नारनौल
18. सिपाही खेम सिंह, गांव भौंडसी, गुड़गांव
19. सिपाही रामपाल, गांव उगाला, अम्बाला
20. लांस नायक कुंवरपाल, गांव दमदमा, गुड़गांव
21. सिपाही राममेहर, गांव भुराबास, झज्जर
22. सिपाही जितेन्द्र, गांव पटौदा, झज्जर
23. सिपाही सिकन्दर सिंह, गांव देवसर, भिवानी
24. लांस नायक निशान सिंह, गांव बाखली, कुरुक्षेत्र

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

25. सिपाही बदन सिंह, गांव मितरोल, फरीदाबाद
26. सिपाही सुरेश शर्मा, गांव फांसखाला, कैथल
27. सिपाही राजेश कुमार, गांव गोरखपुर, फतेहाबाद
28. सिपाही राजकुमार, गांव खरखाम, झज्जर
29. सिपाही सुखविन्द्र सिंह, गांव महिलांवाली, यमुनानगर
30. सिपाही राजेश कुमार, गांव नूना माजरा, झज्जर
31. सिपाही सुमन अली, गांव मकराना, भिवानी
32. सिपाही मनजीत, गांव बिगोवा, भिवानी
33. सिपाही दरबारा सिंह, गांव उपलाना, करनाल
34. सिपाही राजबीर, गांव धामलावास, रिवाड़ी
35. नायक बलबीर सिंह, गांव खरकड़ी, हिसार
36. सिपाही दीन मोहम्मद, गांव कुमरहेड़ा, फरीदाबाद
37. सिपाही गोपाल सिंह, गांव छांयसा, फरीदाबाद

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इनके अलावा और भी जो सैनिक शहीद हुए हैं जिनके नाम इस सुची में शामिल न हो सके या किसी दूसरे कारण से रह गये तथा किसी दूसरे माननीय सदस्य की जानकारी में हो, वे नाम भी इस सूची में शामिल कर लिये जायें। इनके अतिरिक्त यह सदन के माननीय सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान के चचेरे भाई श्री संदीप कुमार सपुत्र चौधरी अत्तर सिंह, गांव पैंटावास कलां, जिला भिवानी के अकस्मात निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन सांसद श्री सुरेन्द्र सिंह की माता, श्रीमति भरतो देवी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रामकिशन फौजी के पिता, श्री धर्मपाल, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रणवीर सिंह के पिता, श्री हरनन्द आर्य, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री दरियाव सिंह के सुपुत्र, श्री अशोक कुमार, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री बलवन्त सिंह मायना के भतीजे श्री मनजीत सिंह तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री भागी राम के भतीजे श्री ओम् प्रकाश के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

चौ0 भजन लाल (आदमपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के सदस्य डॉ. जे.पी. शर्मा के अक्तूबर, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 14 अक्तूबर, 1938 को हुआ। उन्होंने 1966 में एम.एस. की डिग्री प्राप्त की और वह 1971 तक मैडीकल कॉलेज , लुधियाना में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे।

वर्ष 2000 में वह हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गये। इसके अलावा वे बहुत सी संस्थाओं के अध्यक्ष भी रहे तथा बहुत सी मैडीकल संस्थाओं के भी अध्यक्ष रहे। उनके निधन से हरियाणा प्रांत को बड़ी भारी क्षति हुई है। वे बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने समाज की सेवा एज ऐ डॉक्टर और एज ऐ जन प्रतिनिधि के रूप में पूरी निष्ठा के साथ की है।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री राव दलीप सिंह के 13 जुलाई, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

उनका जन्म 4 अक्तूबर, 19931 को हुआ। वह विधि स्नातक थे। वह 1967, 1968, 1972, और 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा वे मेरी कैबीनेट में मंत्री भी रहे। वे बहुत ही काबिल और योग्य व्यक्ति थे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रेलू राम पूनिया तथा उनके परिवार के सदस्यों की 24 अगस्त, 2001 को हुई निर्मम हत्या पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। श्री रेलू राम का जन्म 4 अप्रैल, 1952 को हुआ। व्यवसाय से कृषक श्री रेलू राम 1996 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। वह कई सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह मौका दिवंगत आत्माओं के परिवारों के प्रति शोक प्रकट करने का है लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा श्री रेलू राम और उनके परिवार के 7 सदस्यों की जो हत्या हुई है उसकी सी0बी0आई0 द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए क्योंकि इस बात का हरियाणा प्रदेश की जनता के मन में संशा है कि एक अकेली लड़की 8 लोगों को नहीं मार सकती। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि इस बारे में सी0बी0आई0 से जांच करवाई जानी चाहिए ताकि सारी पिक्चर क्लीयर हो जाए उनके बारे में कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन वे बातें इस समय कहने का मौका नहीं हे वह बातें बाद में कहेंगे। सी0बी0आई0 से जांच करवाने की बात कहने के लिए मैंने इसलिए हिम्मत की है क्योंकि उनका शोक प्रस्ताव में नाम है। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से ओर अपनी पार्टी की ओर से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सेठ लछमन दास बजाज के 21 सितम्बर, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 8 फरवरी, 1921 को हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह कई सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक कि सेवाओं से वंचित हो गया

[चौ0 भजन लाल]

है। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर के दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्र भान के 27 सितम्बर, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। 85 वर्षीय श्री चन्द्र भान रनावक थे। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और वह दो वर्ष के लिए जेल गए। वह 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह कई सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे । उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गंगा राम के 24 अक्तूबर, 2001 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। वह 65 वर्ष के थे। वह 1974 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य नहीं चुने गए थे बल्कि वह 1974 की बजाय 1977 में सदस्य चुने गए थे। यह मेरी समझ में टाईप में गलती हुई है क्योंकि 1974 में तो कोई चुनाव ही नहीं हुए थे और न ही उस समय कोई बाई इलैक्शन हुआ था।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) :अध्यक्ष महोदय, इनकी बात ठीक है वह 1977 के इलैक्शन में ही विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। यह टाईप करने में गलती हुई है।

चौ0 भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से संसद सदस्य और पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री माधव राव सिंधिया के 30 सितम्बर, 2001 को हुए दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। श्री सिंधिया का जन्म 10 मार्च, 1945 को हुआ। उन्होंने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की । वह 1971, 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998 व 1999 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वह 1984 से 1989 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा 1991-93 और 1995-96 के दौरान केन्द्रीय मंत्री रहे। युवा कल्याण और खेलों के स्तर को ऊंचा करने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। वह 1990 से 1993 तक भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे। उन्होंने कई देशों का दौरा किया उन्होंने इंग्लैंड,फ्रांस, अल्जीरिया, तुर्की, आस्ट्रिया, सोवियत संघ, जापान, आस्ट्रेलिया, ईराक, इण्डोनेशिया, मलेशिया, बीजिंग और पश्चिम जर्मनी में भारत के कई प्रतिनिधि मण्डलों का नेतृत्व किया।

उनके निधन से देश एक प्रख्यात सासंद एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

स्पीकर साहब, मैं मुख्यमंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि श्री माधव राव सिंधिया जी के साथ जो चार महानुभाव पत्रकार थे उनकी भी इस हादसे में मृत्यु हो गई है कृपा उनके नाम भी इन शोक प्रस्तावों में शामिल कर लिए जाएं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी आप उनके नाम बता दें।

चौ0 भजन लाल: नाम हम आपको कल दे देंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन नामों के साथ जो दो पायलट थे उनका नाम और सिंधिया जी के जो पर्सनल सैक्रेटरी श्री रुपेन्द्र सिंह थे उनके भी नाम इन शोक प्रस्तावों में शामिल कर लिए जाएं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा पार्टी की तरफ से भूतपूर्व राज्यपाल एवं राजनयिक श्री बी.के. नेहरू के 31 अक्तूबर, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 4 सितम्बर, 1909 को हुआ। उन्होंने 1934 में आई.सी.एस में प्रवेश किया। वह 1961 से 1968 तक अमेरिका में भारत के राजदूत और 1973 से 1977 तक ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रहे। वह 1968 से 1973 तक असम और नागालैंड, 1972-73 के दौरान मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 1981 से 1984 तक जम्मू और कश्मीर तथा 1984 से 1986 तक गुजरात के राज्यपाल रहे। वह पदम विभूषण से अलंकृत थे। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहकर कुशलता से देश की सेवा की । वह 1988 से 2000 तक ट्रिब्यून समाचार पत्र समूह से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से देश एक कुशल राजनयिक तथा योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी ओर से एवं अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक संवदेना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं अपनी तथा पार्टी की तरफ से श्री कर्म सिंह, स्वतंत्रता सेनानी के 5 नवम्बर, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 1919 में हुआ। वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के आह्वान पर 20 वर्ष की आयु में आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये। वह सात वर्ष सिंगापुर जेल में रहे। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने उनकी योग्यता और निष्ठा का देखते हुए उन्हें लैफ्टिनैंट की उपाधि से विभूषित किया। वह 1948 से 1964 तक जगाधरी नगरपालिका के प्रधान रहे। श्री कर्म सिंह की देश के प्रति की गई सेवाओं को देखते हुए उन्हें 1972 में 'ताम्र-पत्र' से सम्मानित किया गया। उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी व सच्चे देशभक्त की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी ओर से एवं अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से श्री चूहड़ सिंह, स्वतन्त्रता सेनानी के 4 नवम्बर, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री चूहड़ सिंह 82 वर्ष के थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और वह 14 वर्ष जेल में रहे। वह काफी समय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साथ जापान और सिंगापुर में रहे। आजादी के बाद वह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। वह 1968 में सूबेदार के पद से सेवा निवृत्त हुए।

[चौ0 भजन लाल]

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी व सच्चे देशभक्त की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी ओर से एवं अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा पार्टी की तरफ से 11 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सैंटर तथा पैंटागन में आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति गहरा शोक प्रकट करता हूं।

विश्व इतिहास में आतंकवाद की ऐसी भयंकर घटना पहले कभी नहीं हुई। यह एक शर्मनाक एवं जघन्य अपराध तथा मानवता पर हमला था। इस घटना ने सारे विश्व को स्तब्ध व शोकाकुल कर दिया। आतंकवाद एक ऐसी बुराई है, जो सारे विश्व के लिए चुनौती है। सभी प्रकार के आतंकवाद के विरूद्ध लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हम आशा करते है हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए किये जा रहे प्रयासों के अच्छे परिणाम निकलेंगे।

मैं अपनी तथा पार्टी की तरफ से इस आतंकवादी हमले की कड़ी निन्दा करता हूं और मैं शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी ओर से एवं अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

(i) अति विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत

श्री अध्यक्ष : माननीय, झारखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष श्री इन्द्र सिंह नामधारी और उनकी पत्नी यहां पर हाउस की कार्यवाही देखने के लिए आए हैं और वी०ई०पी० गैलरी में बैठे हैं । मैं अपनी तरफ से व हाउस की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। (थम्पिंग)

शोक प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से 1 अक्तूबर, 2001 को जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर हुए आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और पार्टी की ओर से आंतकवाद की कड़ी निंदा करता हूं और शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, केवल इस घटना की ही नहीं जम्मू-कश्मीर तथा देश के दूसरे हिस्सों में जहां-जहां भी आतंकवादी हमले करके निर्दोष लोगों को मारा गया है उन सभी को भी इसमें शामिल किया जाए तथा कड़े शब्दों में इन हमलों की निंदा की जाए, ऐसा मेरा प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय मैं अपनी ओर अपनी पार्टी की ओर से उन वीर सैनिकों को अश्रुपूर्ण नमन करता हूं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। इन महान शहीदों के नाम इस प्रकार हैं :

कमान्डैंट सहदेव दहिया, रोहतक, मेजर अमित आहूजा, अम्बाला, लैफ्टिनैंट कुलदीप सिंह, रोहतक, सहायक कमान्डैंट विकास भारद्वाज, कैथल, सहायक कमान्डैंट बी.के. यादव, गांव

बासूदधा, रिवाड़ी, सूबेदार मेजर जगमाल सिंह, गांव भोगपुर, यमुनानगर, हवलदार, अमरजीत सिंह, गांव मंधार, यमुनानगर, हवलदार राजपाल सिंह, गांव बरवाला, पंचकूला, हवलदार ईश्वर सिंह, गांव भगूरा, जीन्द, हवलदार बलवान सिंह, रोहतक, सिपाही सुनील कुमार, गांव खुबड़ू, सोनीपत, पैराटरूपर दरबारा सिंह, गांव डेरादेव करनाल, लांस नायक रामेश्वर, गांव कसौली, रिवाड़ी, सिपाही राजबीर सिंह, गांव ढाणी सांकरी, हिसार, सिपाही राजेश, गांव रेनकलां, भिवानी, नायक बलून सिंह, रोहतक, सिपाही बनवारी लाल, गांव छिलरो, नारनौल, सिपाही खेम सिंह, गांव भौंडसी, गुड़गांव, सिपाही रामपाल, गांव उगाला, अम्बाला, लांस लायक कुंवरपाल, गांव दमदमा, गुड़गांव, सिपाही राममेहर, गांव भुरावास, झज्जर, सिपाही जितेन्द्र, गांव पटौदा, झज्जर, सिपाही सिकन्दर सिंह, गांव देवसर, भिवानी, लांस नायक निशान सिंह, गांव बाखली, कुरूक्षेत्र, सिपाही बदन सिंह, गांव मितरोल, फरीदाबाद, सिपाही सुरेश शर्मा, गांव फ्रांसवाला, कैथल, सिपाही राजेश कुमार, गांव गोरखपुर, फतेहाबाद, सिपाही राजकुमार, गांव फरदान, झज्जर, सिपाही सुखविन्द्र सिंह, गांव महिलांवाली, यमुनानगर, सिपाही राजेश कुमार, गांव नूना माजरा, झज्जर, सिपाही सुमन अली गांव मकराना, भिवानी, सिपाही मनजीत, गांव बिगोवा, भिवानी, सिपाही दरबारा सिंह, गांव उपलाना, करनाल, सिपाही राजबीर गांव धामलावास, रिवाड़ी, नायक बलबीर सिंह, गांव खरकड़ी, हिसार, सिपाही दीन मोहम्मद, गांव कुमरहेड़ा, फरीदाबाद, सिपाही गोपाल सिंह, गांव छांयसा, फरीदाबाद।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली 10 लाख रूपये की राशि देनी सरकार ने बन्द कर दी है जो कि बन्द नहीं करनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से श्री सांसद श्री सुरेन्द्र सिंह की माता, श्रीमति भरतो देवी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रामकिशन फौजी के पिता, श्री धर्मपाल, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रणवीर सिंह के पिता, श्री हरनन्द आर्य, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री दरियाव सिंह के सुपुत्र, श्री अशोक कुमार, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री बलवन्त सिंह मायना के भतीजे श्री मनजीत सिंह तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री आगी राम के भतीजे श्री ओम् प्रकाश के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगतो के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मेरी एक और प्रार्थना है कि इस सदन के मैम्बर डा० जय प्रकाश शर्मा का निधन हो गया है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आज की हाउस की कार्यवाही कल तक के लिए एडजॉर्न करनी चाहिए क्योंकि वे सिटिंग मैम्बर थे।

श्री कृष्णपाल गुर्जर (बल्लभगढ़) : पिछले विधान सभा के सत्र के खत्म होने के बाद और विधान सभा के इस सत्र के आरम्भ होने से पहले हमारे बीच में से कोई महान् विभूतियां चली गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के सदस्य डॉ0 जे.पी.शर्मा के 31 अक्तूबर, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

[श्री कृष्ण पाल गुर्जर]

उनका जन्म 14 अक्तूबर, 1938 को हुआ। उन्होंने 1966 में एम०एस० की डिग्री प्राप्त की और वह 1971 तक मैडीकल कालेज, लुधियाना में एसोसिएट प्रोफैसर के पद पर कार्यरत रहे। वर्ष 2000 में वह हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। अध्यक्ष महोदय, डॉ० जे०पी० शर्मा जी बहुत ही हंसमुख स्वभाव के और मिलनसार व्यक्ति थे। वे सभी सदस्यों के साथ मिल जुलकर रहते थे आज वे हमारे बीच में नहीं रहे हैं।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री राव दलीप सिंह के 13 जुलाई 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 4 अक्तूबर, 1931 को हुआ। वह विधि स्नातक थे। वह 1976, 1968, 1972 और 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा जनवरी 1981 से मई 1982 तक मंत्री रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तथा इपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रेलू राम पूनिया तथा उनके परिवार के सदस्यों की 24 अगस्त, 2001 को हुई निर्मम हत्या पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

श्री रेलू राम पूनिया का जन्म 4 अप्रैल, 1952 को हुआ। श्री रेलू राम व्यवसाय से कृषक थे और 1996 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। वह कई सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। अध्यक्ष महोदय, रेलू राम पुनिया जी का ज्यादातर समय फरीदाबाद में गुजरा है। वह बहुत ही नीचे स्तर से उठकर हरियाणा विधान सभा में पहुंचे थे। यह एक मिसाल है।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सेठ लछमन दास बजाज के 21 सितम्बर, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 8 फरवरी, 1921 को हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वह 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह कई समाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक- संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्र भान के 27 सितम्बर, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

85 वर्षीय श्री चन्द्र भान स्नातक थे। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और वह दो वर्ष के लिए जेल गए। वह कई सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गंगा राम के 24 अक्तूबर, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

वह 65 वर्ष के थे। वह 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह कई सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से संसद सदस्य और पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री माधव राव सिंधिया के 30 सितम्बर , 2001 को हुए दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माधव राव सिंधिया एक सशक्त राजनेता थे जिन्होंने हिन्दुस्तान की राजनीति में अपनी एक जगह बना ली थी। उन्होंने जितने भी काम किए हैं उनके बारे में व्याख्यान करना बहुत ही मुश्किल है। उनके निधन से सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान को नुक्सान हुआ है। श्री सिंधिया का जन्म 10 मार्च, 1945 को हुआ। उन्होंने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। वह 1971, 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998 व 1999 में लोक सभा के सदस्य चुने गए।

अध्यक्ष महोदय, उनके बारे में मैं आपके माध्यम से सदन को एक बात और बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत जनसंघ से की थी। वह 1984 से 1989 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा 1991-93 और 1995-96 के दौरान केन्द्रीय मंत्री रहे। युवा कल्याण और खेलों के स्तर को ऊंचा करने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। वह 1990 से 1993 तक भारतीय क्रिकेट कण्ट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे।

उन्होंने कई देशों का दौरा किया उन्होंने इंग्लैंड,फ्रांस, अल्जीरिया, तुर्की, आस्ट्रिया, सोवियतसंघ, जापान, आस्ट्रेलिया, ईराक, इण्डोनेशिया, मलेशिया, बीजिंग और पश्चिम जर्मनी में भारत के कई प्रतिनिधि मण्डलों का नेतृत्व किया।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ उस जहाज में असिस्टैंट पायलट रितु मलिक, श्री सिंधिया के सैक्रेटरी और चार पत्रकारों की असामयिक मृत्यु हो गई थी। रितु मलिक रोहतक की रहने वाली

[श्री कृष्णपाल गुर्जर]

थी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन सबके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। इसी के साथ श्री सिंधिया जी के निधन से देश एक प्रख्यात सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से भूतपूर्व राज्यपाल एवं राजनयिक श्री बी.के. नेहरू के 31 अक्तूबर, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 4 सितम्बर, 1909 को हुआ। उन्होंने 1934 में आई.सी.एस. में प्रवेश किया। वह 1961 से 1968 तक अमेरिका में भारत के राजदूत और 1973 से 1977 तक ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रहे। वह 1968 से 1973 तक असम और नागालैण्ड, 1972-73 के दौरान मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 1981 से 1984 तक जम्मू और कश्मीर तथा 1984 से 1986 तक गुजरात के राज्यपाल रहे। वह पद्म विभूषण से अलंकृत थे। उन्होंने विभिन्न पदों पर रह कर कुशलता से देश की सेवा की। वह 1988 से 2000 तक ट्रिब्यून समाचार पत्र समूह से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से देश एक कुशल राजनयिक तथा योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी ओर से एवं अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से श्री कर्म सिंह, स्वतन्त्रता सेनानी के 5 नवम्बर, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 1919 में हुआ। वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के आह्वान पर 20 वर्ष की आयु में आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये। वह सात वर्ष सिंगापुर जेल में रहे। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने उनकी योग्यता और निष्ठा को देखते हुए उन्हें लैफ्टिनैंट की उपाधि से विभूषित किया। वह 1948 से 1964 तक जगाधरी नगरपालिका के प्रधान रहे। श्री कर्म सिंह की देश के प्रति की गई सेवाओं को देखते हुए उन्हें 1972 में 'ताम्र-पत्र' से सम्मानित किया गया।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी व सच्चे देशभक्त की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी ओर से एवं अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से श्री चूहड़ सिंह स्वतन्त्रता सेनानी के 4 नवम्बर, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

श्री चूहड़ सिंह 82 वर्ष के थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़चढ़ कर भाग लिया और वह 14 वर्ष जेल में रहे। वह काफी समय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साथ जापान और सिंगापुर में रहे। आजादी के बाद वह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। वह 1968 में सूबेदार के पद से सेवा निवृत हुए।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी व सच्चे देशभक्त की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी ओर से एवं अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से 11 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सैंटर तथा पैंटागन में आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति गहरा शोक प्रकट करता हूं।

विश्व इतिहास में आतंकवाद की ऐसी भयंकर घटना पहले कभी नहीं हुई। यह एक सर्मनाक एवं जघन्य अपराध तथा मानवता पर हमला था। इस घटना ने सारे विश्व को स्तब्ध व शोकाकुल कर दिया। आतंकवाद एक ऐसी बुराई है, जो सारे विश्व के लिए चुनौती है। सभी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए किये जा रहे प्रयासों के अच्छे परिणाम निकलेंगे।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं और शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी ओर से एवं अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से 1 अक्तूबर, 2001 को जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर हुए आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से आतंकवाद की कड़ी निंदा करता हूं और शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी ओर से एवं अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से उन वीर सैनिकों को अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिये अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया।

इन महान शहीदों के नाम इस प्रकार है :

कमान्डैंट सहदेव दहिया, रोहतक, मेजर अमित आहूजा, अम्बाला, लैफ्टिनैंट कुलदीप सिंह, रोहतक, सहायक कमान्डैंट विकास भारद्वाज, कैथल, सहायक कमान्डैंट बी.के. यादव, गांव बासूदधा, रिवाड़ी, सूबेदार नेजर जगमाल सिंह, गांव भोगपुर, यमुनानगर, हवलदार अमरजीत सिंह, गांव मंधार, यमुनानगर, हवलदार राजपाल सिंह, गांव बरवाला, पंचकूला, हवलदार ईश्वर सिंह, गांव नगूरा, जीन्द, हवलदार बलदान सिंह, रोहतक, सिपाही सुनील कुमार, गांव खुबड़ू सोनीपत, पैराटरूपर दरबारा सिंह, गांव डेरादेव करनाल, लांस नायक रामेश्वर, गांव कसौली, रिवाड़ी, सिपाही राजवीर सिंह, गांव ढाणी सांकरी, हिसार, सिपाही राजेश, गांव रेनकलां, भिवानी, नायक बलून सिंह, रोहतक, सिपाही बनवारी लाल, गांव छिलरो, नारनौल, सिपाही खेम सिंह, गांव भौंडसी, गुड़गांव, सिपाही रामपाल, गांव उगाला, अम्बाला, लांस नायक कुंवरपाल, गांव दमदमा, गुड़गांव, सिपाही रामभेहर, गांव भुराबास, झज्जर, सिपाही जितेन्द्र, गांव पटौदा, झज्जर, सिपाही सिकन्दर सिंह, गांव देवसर, भिवानी, लांस नायक निशान सिंह, गांव बाखली, कुरुक्षेत्र, सिपाही बदन सिंह, गांव मितरोल, फरीदाबाद, सिपाही सुरेश शर्मा, गांव फांसवाला, कैथल, सिपाही राजेश कुमार, गांव गोरखपुर, फतेहाबाद, सिपाही राजकुमार, गांव खरगान,

[श्री कृष्णपाल गुर्जर]

झज्जर, सिपाही सुखविन्द्र सिंह, गांव महिलांवाली, यमुनानगर, सिपाही राजेश कुमार, गांव नूना माजरा, झज्जर, सिपाही सुमन अली, गांव मकराना, भिवानी, सिपाही मनजीत, गांव बिंगोदा, भिवानी, सिपाही राजबीर गांव उपलाना, करनाल, सिपाही राजबीर, गांव धामलावास, रिवाड़ी, नायक बलबीर सिंह, गांव खरकड़ी, हिसार, सिपाही दीन मोहम्मद, गांव कुमरहेड़ा, फरीदाबाद, सिपाही गोपाल सिंह, गांव छांयसा, फरीदाबाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से सांसद श्री सुरेन्द्र सिंह की माता श्रीमति भरतो देवी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रामकिशन फौजी के पिता श्री धर्मपाल, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रणवीर सिंह के पिता श्री हरनन्द आर्य, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री दरियाव सिंह के सुपुत्र श्री अशोक कुमार, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री बलवन्त सिंह मायना के भतीजे श्री मनजीत सिंह तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री भागी राम के भतीजे श्री ओम प्रकाश के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री बंसी लाल(भिवानी): अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दि हाउस ने जो शोक प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे सदन के ही एक मौजूदा मैंबर श्री जे.पी. शर्मा 31 अक्टूबर, 2001 को इस असार संसार से चले गए। वे बहुत योग्य डाक्टर, बड़े कर्मठ कार्यकर्ता और लोगों में लोकप्रिय थे उन्होंने समाज सेवा भी बहुत की। बहुत सी कमेटियां लोगों की होती हैं वे उनके मैंबर भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। मैं अपने आपको इस प्रस्ताव के साथ श्री जे.पी.शर्मा के शोक प्रस्ताव में ऐसोसिएट करता हूं ।

श्री राव दिलीप सिंह भूतपूर्व मंत्री रहे। वे चार पांच बार इस सदन के सदस्य रहे। वे बहुत योग्य समझदार व शील स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके जाने से भी हमने एक योग्य व्यक्ति, अच्छा प्रशासक खो दिया है मैं उनके परिवार के प्रति भी संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री रेलू राम पूनिया हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य रहे, उनकी बड़ी निर्मम हत्या पूरे कुटुंब के साथ हुई। मैं उनके परिवार या रिश्तेदार जो भी हों उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

सेठ लक्ष्मण दास बजाज हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य रहे। उनके और उनके परिवार वालों के प्रति भी मैं सहानुभूति प्रकट करता हूं।

श्री चंद्र भान, संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य थे और मेरा ख्याल है कि वे मेरे जिले लोहारू से एम.एल.ए. रहे। मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री गंगा राम हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे उनके निधन पर भी मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री माधव राव सिंधिया भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री रहे। अध्यक्ष महोदय श्री माधव राव सिंधिया एक आउट-स्टैंडिंग पर्सनैलिटी थे। वे ग्वालियर के महाराजा थे। नौ बार लोकसभा के लिए चुने गए । जब उन्होंने चुनाव लड़ना शुरु किया उसके बाद वे कभी हारे नहीं और तीन बार केन्द्रीय मंत्री रहे। रेलवे मंत्री, सिविल ऐविएशन मंत्री रहे। उनका काम करने का अपना ही एक तरीका था। वे बहुत ही ईमानदार और स्टैंडर्ड के व्यक्ति थे। वे हिंदुस्तान के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने बहुत देशों की यात्रा की । जो देश प्रस्ताव में दिखाये गए हैं उनसे कहीं ज्यादा देशों की उन्होंने यात्रा की। श्री सिंधिया के जाने से पूरे देश को बड़ा भारी नुकसान हुआ है क्योंकि एक बहुत ही स्टैंडर्ड का नेता चला गया। भगवान उन्हें लम्बी जिंदगी देता तो वे एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनते। उनके निधन से मुझे बहुत दुःख हुआ क्योंकि मेरे उनसे व्यक्तिगत ताल्लुकात थे । हमने साथ काम भी किया है उनके निधन से जो क्षति हुई है उसे कांग्रस पार्टी तो क्या कोई आदमी भी ऐसा नहीं जो उसकी पूर्ति कर सके। मैं दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। उनके साथ-साथ पत्रकार भी मारे गए, उनके प्राइवेट सैक्रेटरी भी मारे गये। उनके परिवार के प्रति भी मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। पत्रकारों और प्राइवेट सैक्रेटरी के नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, श्री बी.के.नेहरू भूतपूर्व राज्यपाल और राजनयिक थे। श्री बी.के नेहरू आई.सी.एस. आफिसर थे और बहुत योग्य व्यक्ति थे। वे बहुत लम्बे अर्से तक एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और बहुत लम्बे अर्से तक कई मुल्कों में एम्बैस्डर भी रहे और बहुत लम्बे अर्से तक राज्यपाल भी रहे। हरियाणा का उनसे गहरा सम्बन्ध है क्योंकि जब वे आई.सी.एस. में आये तो उनकी सबसे पहली पोस्टिंग एस.डी.एम. सिरसा की हुई थी। हरियाणा के गवर्नर श्री बी.एन.चक्रवर्ती भी एक आई.सी.एस. आफिसर थे। जब श्री बी. के. नेहरु यहां आते थे तो श्री चक्रवर्ती जी के पास ठहरते थे क्योंकि दोनों ही आई.सी.एस. आफिसर थे। जब श्री चक्रवर्ती जी हरियाणा के गवर्नर बने तो श्री बी.के.नेहरू यहां पर आये और उन्होंने कहा कि हम सिरसा में वह कोठी देखना चाहते हैं जिसमें हम रहते थे। और वे दोनों सिर्फ बीबी सिरसा में उस कोठी को देखने गये। श्री नेहरू ट्रिब्यून ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे। मैं उनके शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इस शोक प्रस्ताव में श्री निहाल सिंह लक्षक जो दादरी हल्के के भागवी गांव के रहने वाले थे और कांस्टीच्यूट एसैम्बली के सदस्य भी रहे और पैप्सू में मंत्री भी रहे उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है शामिल कर दिया जायेगा।

श्री बंसी लाल : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, इसके इलावा श्री एस.एन. निजलिंग्पा जी जो तीन बार कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री रहे उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है शामिल कर दिया जायेगा।

श्री बंसी लाल : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। श्री कर्मसिंह स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के प्रति भी मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

[श्री बंसी लाल]

श्री चूहड़ सिंह स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के प्रति भी मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 11 सितम्बर को आतंकवादियों का हमला हुआ वह अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसमें लगभग पांच हजार आदमी मारे गये। अध्यक्ष महोदय, जब हिन्दुस्तान सरकार अमेरिका से कहती थी कि पाकिस्तान काश्मीर और पंजाब में आतंकवादी भेजता है तो वे कहते थे कि पक्का सबूत नहीं मिला है। यह दुर्घटना तो हुई यह एक खराब बात है परन्तु पूरी दुनिया को यह पता लग गया कि आतंकवादी हैं। लेकिन जो लोग इस दुर्घटना में मारे गये उनके परिवारों के लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

जम्मू काश्मीर में आतंकवादियों के हमले में जो लोग मारे गये हैं उनके परिवारों के लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

हरियाणा के शहीद जो मारे गये हैं उन शहीदों के नाम इस प्रकार हैं :-

कमान्डैंट सहदेव दहिया, रोहतक, मेजर अमित आहूजा, अम्बाला, लैफ्टिनैंट कुलदीप सिंह, रोहतक, सहायक कमान्डैंट विकास भारद्वाज, कैथल, सहायक कमान्डैंट बी.के. यादव, गांव बासूदंधा, रिवाड़ी, सूबेदार मेजर जगमाल सिंह, गांव भोगपुर, यमुनानगर, हवलदार अमरजीत सिंह, गांव मंधार, यमुनानगर, हवलदार राजपाल सिंह, गांव बरवाला, पंचकूला, हवलदार ईश्वर सिंह, गांव नगूरा, जीन्द, हवलदार बलवान सिंह, रोहतक, सिपाही सुनील कुमार, गांव खुबडू सोनीपत, पैराटरूपर दरबारा सिंह, गांव डेरादेय करनाल, लांस नायक रामेश्वर, गांव कसौली, रिवाड़ी, सिपाही राजवीर सिंह, गांव ढाणी सांकरी, हिसार, सिपाही राजेश, गांव रेनकलां, भिवानी, नायक बतून सिंह, रोहतक, सिपाही बनवारी लाल, गांव छिलरो, नारनौल, सिपाही खेम सिंह, गांव भौंडसी, गुड़गांव, सिपाही रामपाल, गांव उगाला, अम्बाला, लांस नायक कुंवरपाल, गांव दमदमा, गुड़गांव, सिपाही राममेहर, गांव भुरावास, झज्जर, सिपाही जितेन्द्र, गांव पटौदा, झज्जर, सिपाही सिकन्दर सिंह, गांव देवसर, भिवानी, लांस नायक निशान सिंह, गांव बाखली, कुरुक्षेत्र, सिपाही बदन सिंह, गांव मितरोल,फरीदाबाद, सिपाही सुरेश शर्मा, गांव फ्रांसवाला, कैथल, सिपाही राजेश कुमार, गांव गोरखपुर, फतेहाबाद, सिपाही राजकुमार, गांव खरगान, झज्जर, सिपाही सुखविन्द्र सिंह, गांव महिलांवाली, यमुनानगर, सिपाही राजेश कुमार, गांव नूना माजरा, झज्जर, सिपाही सुमन अली, गांव मकराना, भिवानी, सिपाही मंजीत गांव विगोवा, भिवानी, सिपाही दरबारा सिंह, गांव उपलाना, करनाल, सिपाही राजबीर गांव धामलावास, रिवाड़ी, नायक बलबीर सिंह, गांव खरकड़ी, हिसार, सिपाही दीन मोहम्मद, गांव कुमरहेड़ा, फरीदाबाद, सिपाही गोपाल सिंह गांव छांयसा, फरीदाबाद।

मैं इन सबके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा के शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली ग्रांट कुछ कम कर दी गई है अब उसको बढ़ा दें तो अच्छा होगा। मुख्यमंत्री महोदय इन शहीदों के परिवारों को मिलने वाली ग्रांट को जितना बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ा दें। अध्यक्ष महोदय, मैं सांसद सुरेन्द्र सिंह की माता श्रीमति भरती देवी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रामकिशन फौजी के पिता श्री धर्मपाल के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं तथा मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा

कि जुगाड़ और टोके इंजन के साथ ट्राली लगाकर सवारियां ढोते थे उनको हाई कोर्ट ने अपने आदेश के तहत बन्द कर दिया था जिसकी वजह से जुगाड और टोके थाने में बन्द कर दिए गए थे लेकिन कुछ एक दिनों से ये फिर चलने लग गए हैं ये जुगाड़ और टोके राह चलते आदमियों को मार जाते हैं जैसे कि राम किशन फौजी का भाई जख्मी हो गया और उसके पिता की मृत्यु हो गई इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इन जुगाड़ और टोकों को बन्द कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रणवीर सिंह के पिता श्री हरनन्द आर्य, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री दरियाव सिंह के सुपुत्र श्री अशोक कुमार, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री बलवन्त सिंह माथना के भतीजे श्री मनजीत सिंह तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री भागी राम के भतीजे श्री ओम प्रकाश के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं तथा दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव हाउस में रखा है और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जो विचार प्रकट किए हैं मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में इस संसार से हमारे बीच में से बहुत सी महान विभूतियां चली गई हैं। सबसे पहले मैं अपनी ही विधान सभा के सदस्य डा0 जय प्रकाश शर्मा के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं । उनका निधन 31 अक्तूबर, 2001 को हुआ। वे हरियाणा विधान सभा की रूल्ज कमेटी के सदस्य थे, अच्छे विधायक थे और अच्छे डाक्टर थे। वे लोगों में लोकप्रिय थे तथा वे अपने अमूल्य सुझाव देते थे और 15.00 बजे उनमें अपनी बात रचनात्मक ढंग से कहने की खूबी थी। राव दलीप सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री के 13 जुलाई, 2001 को हुए दु:खद निधन पर मुझे गहरा शोक है। वह एक अनुभवी विधायक और योग्य प्रशासक थे। उनके निधन से हरियाणा ने एक अनुभवी नेता और योग्य प्रशासक खो दिया है।

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रेलू राम पूनिया और उनके परिवार के सदस्यों की हुई निर्मम हत्या पर मुझे गहरा दु:ख है। श्री रेलू राम पूनिया जी कई सामाजिक संस्थाओं में कार्यरत थे और उनके निधन से हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है।

सेठ लक्ष्मन दास बजाज हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के निधन पर भी मुझे गहरा दु:ख है । वे 1987 में मेरे साथ हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनके निधन से हरियाणा प्रदेश ने एक योग्य समाज सेवक खो दिया है।

श्री चन्द्र भान, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य और श्री गंगा राम, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के निधन पर भी मुझे गहरा दु:ख है।

श्री माधव राव सिंधिया, संसद सदस्य और पूर्व केन्द्रीय मंत्री के असामयिक निधन पर मुझे गहरा शोक है। वे एक अनुभवी लोकसभा सदस्य थे तथा कुशल केन्द्रीय मंत्री भी रहे। उन्होंने अपने जीवन में 9 बार संसदीय चुनाव लड़ा और कभी भी उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। वे 1971 से लगातार अब तक लोक सभा सदस्य के रूप में चुने गये। उन्होंने कई देशों में भारत के प्रतिनिधि मण्डलों का नेतृत्व किया। वे एक प्रख्यात सांसद और योग्य प्रशासक थे।

[श्री अध्यक्ष]

भूतपूर्व राज्यपाल एवं राजनयिक श्री बी.के. नेहरू के निधन पर मुझे बहुत गहरा शोक है। वह एक कुशल प्रशासक थे। वे अमेरिका में भारत के राजदूत और ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त जैसे उच्च पदों पर आसीन रहे। इसके अलावा वे असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा,जम्मू और कश्मीर तथा गुजरात के राज्यपाल रहे। उनके निधन से देश ने एक कुशल राजनयिक और योग्य प्रशासक खो दिया है।

श्री कर्म सिंह तथा श्री चूहड़ सिंह स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर मुझे गहरा शोक है। ये दोनों ही स्वतन्त्रता सेनानी नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के साथ संबंधित रहे और इन्होंने अपनी पूर्ण योग्यता से देश की सेवा की, ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन से देश उनसे वंचित हो गया है।

इसके अतिरिक्त 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले में मारे गये निर्दोष लोगों के लिए मुझे गहरा शोक है। उनमें काफी संख्या में भारतीय लोग भी थे। इस घटना ने आतंकवाद को एक चर्म सीमा पर ला दिया है और ऐसी घटना संसार में आज तक नहीं हुई। मुझे उन लोगों के मारे जाने पर गहरा दुःख है।

इसके अतिरिक्त 1 अक्तूबर, 2001 को जम्मू और कश्मीर विधान सभा पर हुए आतंकवादी हमले में मारे गये निर्दोष लोगों के निधन पर भी मुझे गहरा शोक है और हम सभी आतंकवाद की कड़ी निंदा करते है।

मैं उन वीर सैनिकों के निधन पर उनको अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ जिनका नाम मुख्यमंत्री जी ने लिया, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा, एकता और अखण्डता के लिए अदम्य साहस तथा वीरता का परिचय दिया।

इसके अलावा सांसद श्री सुरेन्द्र सिंह की माता, श्रीमति भरतो देवी जी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रामकिशन फौजी के पिता, श्री धर्मपाल जी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रणवीर सिंह के पिता, श्री हरनन्द आर्य जी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री दरियाव सिंह के सुपुत्र, श्री अशोक कुमार जी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री बलवन्त सिंह मायना के भतीजे श्री मनजीत सिंह जी तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री भागी राम के भतीजे श्री ओम प्रकाश जी के दुःखद निधन पर मुझे गहरा दुःख है। इनके अतिरिक्त विधायक श्री जगजीत सिंह सांगवान के चचेरे भाई श्री संदीप कुमार जी और विधायक श्री रामफल कुण्डु के समधी श्री हरस्वरूप जी के अकस्मात निधन पर भी मुझे गहरा शोक है। इनके अतिरिक्त माननीय विधायक श्री धर्मबीर द्वारा राईफल मैन विक्रम सिंह, गांव हलवास, भिवानी, राईफल मैन राम चन्द्र, गांव मंडोरी खुर्द, भिवानी और लांस नायक सिकन्द्र सिंह, गांव देवसर, भिवानी दिए गये शहीदों के नाम भी इस सूची में शामिल किए जाते हैं और सारे सदन की संवेदनाएं मैं सभी शोक संतप्त परिवारों को भिजवा दूंगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन रखें।

(इस समय सदन ने सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया ।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल, मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे। कैप्टन अजय सिंह।

Construction of Bye-Pass in Rewari

***705. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bye-pass in Rewari City; if so, the time by which it is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं, श्रीमान जी।

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है कि क्वैश्चन आवर शुरू करने से पहले आप मेरी बात सुनें। आप मेहरबानी करके आज का हाउस कल तक के लिए एडजर्न करें क्योंकि इसी महान सदन के सिटिंग सदस्य श्री जय प्रकाश शर्मा का निधन हुआ है। जब चौधरी देवी लाल जी के निधन का शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ था तो उनके शोक प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद सदन एडजर्न हुआ था इसलिए मेरी आपसे विनती है कि एक सिटिंग सदस्य का निधन हुआ है तो आज हाउस एडजर्न किया जाना चाहिए। आप आज का एजेंडा कल के लिए मुलतवी कर दें।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह, आप अपनी सप्लीमैंटरी पूछें। (शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, जे० पी० शर्मा इस हाउस के सिटिंग सदस्य थे और उनका निधन हो गया है तो आज हाउस एडजर्न होना चाहिए । (शोर)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, मैंने आपको सप्लीमैंटरी पूछने के लिए कहा है इसलिए आप अपनी सप्लीमैंटरी पूछें । (शोर) Otherwise, I call next member to ask his question.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, इस महान सदन के एक सम्मानित सिटिंग सदस्य का निधन हुआ है इसलिए आज शोक प्रस्ताव के बाद हाउस एडजर्न होना चाहिए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, यदि आप सप्लीमैंटरी नहीं पूछना चाहते तो आप बैठ जाएं। उनकी अन्तिम यात्रा में हम सब शामिल हुए थे। (शोर)

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हूं आप मेरी बात सुनें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप क्वैश्चन आवर के बाद अपनी बात कह लेना ।(शोर)

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आज क्वैश्चन आवर नहीं हो सकता और वैसे भी आज नान-औफिशियल-डे है, इसलिए आज सरकारी कार्य नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाएं।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, क्वैश्चन आवर तो नान-औफिशियल-डे को भी होता है।

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, नान-ओफिशियल-डे को हाउस बुलाया ही नहीं जाता। कम से कम मैंने अपने वक्त में कभी भी नान-औफिशियल-डे को सैशन नहीं बुलाया। (शोर)

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर साहब, इस महान सदन के सिटिंग सदस्य श्री जय प्रकाश शर्मा का निधन हो गया है। उनकी अन्तिम यात्रा में आप भी शामिल हुए और हम भी शामिल हुए। क्या सिटिंग सदस्य का निधन होने पर हाउस एडजर्न नहीं हो सकता। यदि आप आज हाउस एडजर्न कर दें तो इसमें कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, यदि आज हाउस एडजर्न कर दिया जाए तो यह सभी के लिए बहुत अच्छी बात है और यह हाउस की गरिमा की बात है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, हाउस के एक सम्मानित सिटिंग सदस्य का निधन हुआ है इसलिए आज शोक प्रस्ताव के बाद हाउस एडजर्न करना चाहिए। (शोक)

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है कि इस हाउस के सिटिंग सदस्य श्री जयप्रकाश शर्मा जी का निधन हुआ है इसलिए आप आज की कार्यवाही एडजर्न कर दें।

श्री अध्यक्ष : आपने जो भी बातें करनी हैं वे क्वैश्चन आवर के बाद करें, अब आप बैठ जाएं। (शोर एवं विघ्न) कैप्टन साहब, आप सवाल पूछने के लिए तैयारी करके नहीं आये या सवाल पूछना ही नहीं चाहते। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, श्री जय प्रकाश जी हाउस के सिटिंग एम०एल०ए० थे इसलिए उनके निधन पर आज की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये और आज का बिजनैस कल के लिए रख लें। (शोर एवं विघ्न)

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के बहुत से सदस्य खड़े होकर बोलने लग गए)

श्री अध्यक्ष : अब आप सभी बैठें। पहले क्वैशन आवर समाप्त होने दें, उसके बाद आप अपनी बात कह लें। (शोर एवं विघ्न) कैप्टन साहब, आप सप्लीमैंटरी नहीं पूछना चाहते तो मैं अगला सवाल टेक अप करता हूं। (शोर एवं विघ्न) कैप्टन साहब, आप सप्लीमैंटरी पूछ नहीं रहे इसलिए मैं अगले सवाल को टेकअप करता हूं।

प्रो0 सम्पत सिंह (वित्त मंत्री) : स्पीकर साहब, यह बड़ी ही अशोभनीय बात है कि ये हाउस की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहे। मुख्य मंत्री जी श्री जयप्रकाश शर्मा जी के निधन पर खुद वहां पर गए और आप भी गए थे । बहुत ही सम्मानित तरीके से श्री जयप्रकाश शर्मा जी का अन्तिम संस्कार हुआ है। उनकी मृत्यु का सभी को दुख है। हम लोगों को भी इन लोगों से फालतू दुख है। वे एक बहुत ही काबिल और अच्छे इन्सान थे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप इनको कहें कि ये हाउस की कार्यवाही को सही ढंग से चलने दें। (शोर एवं विघ्न)

(इस समय माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह यादव वैल में आ गए)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, यह हाउस की परम्परा रही है जब किसी सिटिंग एम०एल०ए० की डैथ हो जाए तो हाउस को स्थगित किया जाता है। . . . . .

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपने जो भी बात कहनी है वह अपनी सीट पर जा कर कहें। (शोर एवं विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, पहले आप हमारी बात तो सुनें * * * * *

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप अपनी सीट पर से नहीं बोल रहे और दूसरे सदस्य भी बगैर परमिशन के बोल रहे हैं इसलिए ये जो भी कह रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड न किया जाये। (इस समय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य वैल के अन्दर आ कर धरने पर बैठ गए)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन सभी सम्मानित सदस्यों को इस सदन की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं । सदन को चलाने की जिम्मेवारी आपकी बनती है । यदि किसी मैम्बर ने कोई बात कहनी है तो वह आपसे अनुरोध करके और आप द्वारा परमिशन दिए जाने के बाद ही कह सकता है। संबंधित मैम्बर के अनुरोध करने पर यह आपने देखना है कि उसकी बात आप मानें या टालें। लेकिन ये कांग्रेस के भाई कोई दबाव डाल कर काम करवाने की परम्परा डाल रहे हैं, यह ठीक नहीं है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी सम्मानित सदस्य जिस ढंग से आचरण कर रहे हैं, क्या यह सदन की गरिमा के अनुरूप है। चौधरी भजन लाल जी आप अपनी सीट पर बैठें ।(शोर एवं विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक घण्टे के लिए हाउस को ऐडजर्न कर दें। (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : डा: साहब, कभी आप तो बुद्धि से काम ले लिया करें। अध्यक्ष महोदय, ये एक साथ दो खड़े हो गए। आप चौधरी भजन लाल जी को बैठाएं तो मैं अपनी बात कहूं। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : लो मैं बैठ जाता हूं। (शोर एवं विघ्न)

(इस समय विपक्ष के नेता भी वैल में धरने पर बैठ गए ।)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को कम से कम मेरा इस बात के लिए मशकूर तो होना चाहिए कि चौधरी भजन लाल धरने पर बैठना नहीं चाहते थे लेकिन मैंने इनको धरने पर बैठा दिया। (हंसी)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप सप्लीमैंटरी नहीं पूछते तो मैं अगले सवाल को टेकअप करता हूं। नैक्सट क्वैशचन श्री जय प्रकाश ।

Supply of Electricity

*737 Shri Jai Parkash : will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any deficiency between the demand and supply of electricty in the State as at present ; if so, if details thereof; togetherwith the steps taken or proposed to be taken to remove such deficiency ; and

(b) whether any assessment has been made by the State Government regarding the requirement of electricity by the year 2005; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क एवं ख) वर्तमान समय में बिजली की उपलब्धता तथा मांग में कोई विशेष अंतर नहीं है परन्तु जब कभी सिस्टम में आऊटेजिज हों तो बिजली इकाईयों को कभी कभी अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ती है ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत के 16वें विद्युतीय बिजली सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में वर्ष 2001-2002 से 2004-05 के दौरान बिजली की वार्षिक मांग निम्न प्रकार से अनुमानित की गई है।

वर्ष	अनुमानित बिजली की आवश्यकता/यूनिट करोड़ों में/	अनुमानित शिखर मांग /मैगावाट में/
2001-02	1746	3322
2002-03	1890	3596
2003-04	2044	3888
2004-05	2209	4203

बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए राज्य में निम्नलिखित मुख्य नई बिजली परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है :-

1. ताऊ देवी लाल थर्मल स्टेशन पानीपत के 210 मैगावाट की छठी यूनिट को दिनांक 20-9-2001से वाणिज्यिक रूप से चालू कर दिया गया है।
2. पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन/पी०टी०सी० से मौसमी बिजली की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए बिजली खरीदी गई।
3. पश्चिमी यमुना नहर पन बिजली परियोजना का दूसरा चरण 14.4 मैगावाट मार्च, 2003 तक पूर्ण किया जाना है।
4. ताऊ देवी लाल थर्मल स्टेशन पर प्रत्येक 250 मैगावाट की दो यूनिटें जोड़कर विस्तार करने तथा 2004-05 तक चालू करने के लिए 30 प्रतिशत इक्विटी के साथ प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है।
5. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने मैसर्ज आई.पी.पी.सी.एल. के साथ इस परियोजना से उत्पादित 360 मैगावाट सारी बिजली क्रय करने के लिए एक मैमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग पर दिनांक 24-10-01 को हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना 2005-06 तक पूर्ण होनी सम्भावित है।

6. यमुनानगर थर्मल परियोजना चरण-1 एवं 2/1000 मैगावाट को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरु किया जाना सम्भावित है।

7. 500 मैगावाट हिरमा थर्मल परियोजना उड़ीसा से वर्ष 2006-07 तक बिजली का क्रय किए जाने की सम्भावना है।

8. 704 मैगावाट बिजली एन.टी.पी.सी. परियोजनाओं अर्थात रिहन्द चरण-2 नार्थ करणपुरा बारह कहल गांव तथा कोले डैम परियोजना से 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी की जानी सम्भावित है।

9. एन.एच.पी.सी. परियोजनाओं अर्थात दुलहट्टी हाईडल पावर परियोजना टिहरी स्टेज-1, बौली गंगा जलीय विद्युत परियोजना तथा लाथपा झाकड़ी परियोजना से 100 मैगावाट बिजली 10वीं तथा 11वीं योजना अवधि के दौरान पूर्ण की जानी सम्भावित है।

10. हिसार थर्मल परियोजना /500 मैगावाट/ को 11वीं योजना अवधि के शुरू में प्रारम्भ किया जाना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य राज्यों में निजी बिजली उत्पादन करने वालों द्वारा विभिन्न पन-बिजली परियोजनाओं से बिजली खरीदने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे 10वीं योजना अवधि के दौरान भी फायदा होगा। एन.टी.पी.सी. के फरीदाबाद के गैस पर आधारित बिजली घर का दूसरा चरण /432 मैगावाट को 10वीं योजना में शामिल कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपा करके आप सभी आनरेबल मैम्बर्ज अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह पूरा सदन आपकी इस बात के लिए सराहना करता है कि आप इस सदन की कार्यवाही को बहुत ही सही तरीके से तथा डैमोक्रेटिक ढंग से चला रहे हैं। आपने सदन की हर बात को माना है। आज ही बिजनैस ऐडवाईज़री कमेटी की मीटिंग थी। हर चीज के लिए टाईम तय होता है और कार्यक्रम बनता है। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : हमने इसको नहीं माना था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : क्या आपने उसमें वाकआउट किया था ?

चौधरी भजन लाल : मैंने उस वक्त भी इस बात को उठाया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : चौधरी भजन लाल जी, आप यह बताइये कि क्या आपने कोई डाईसैंटिंग नोट इस बारे में दिया ? (विघ्न) आपने इस बारे में कुछ भी लिख कर नहीं दिया इसमें आपको डाईसैंटिंग नोट देना चाहिए था। क्या आपने इस बारे में कुछ लिख कर दिया था ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी जो कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी के बारे में आपके सामने ही सारी बात हुई थी और मैंने उस वक्त भी यह कहा था कि हाउस ऐडजर्न कर दें।

श्री अध्यक्ष : 23 मई, 1996 को कर्नल राम प्रकाश दहिया की डैथ हो गई थी उस वक्त भी हाउस चल रहा था लेकिन हाउस ऐडजर्न नहीं किया गया था।

आवाजें : वे उस समय एम.एल.ए. नहीं थे क्योंकि उन्होंने अभी ओथ नहीं ली थी।

श्री अध्यक्ष : यह तो कोई इन्टरप्रैटेशन नहीं हुई। जब जनता ने उनको एम.एल.ए. चुन दिया था तो वे एम.एल.ए. बन गए। (विघ्न एवं शोर) इसमें कौन सी ऐसी बात है कि उन्होंने ओथ नहीं ली। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। चौधरी भजन लाल जी, हाउस का टाईम बहुत कीमती है। प्रदेश का पैसा खर्च होता है। सरकार को और भी बहुत से काम करने हैं इसलिए आप हाउस का समय व्यर्थ में बर्बाद न करें। (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से हमारे जो पक्ष के लोग हैं वे इनमें ज्यादा स्वर्गीय जय प्रकाश जी का सम्मान करते हैं। स्वर्गीय जय प्रकाश जी के सम्मान में हमने हरियाणा दिवस जैसे अहम् कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया था। इनकी शान बहुत ही बढ़ जाती अगर ये दो नवम्बर को अपने बन्द का कार्यक्रम स्थगित कर देते (विघ्न एवं शोर)। यदि ये अपने उस बन्द के कार्यक्रम को स्थगित कर देते तो इनकी यह फजीहत तो न होती। (विघ्न एवं शोर) (शेम-शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें (शोर)। चौधरी भजन लाल जी, आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (शोर) आप सभी लोग खुद तो बन्द में लगे हुए थे और आज हाउस की कार्यवाही को स्थगित करने की बात कर रहे हैं। आपने तो अपने बन्द के कार्यक्रम को भी रद्द नहीं किया था। (विघ्न एवं शोर) आपकी पार्टी के साथी और दूसरे लोग बन्द में लगे हुए थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करने के बाद मैंने कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जबकि ये बन्द में लगे रहे। (विघ्न) जब तक जीवित हैं संसार के सारे काम चलते ही रहते हैं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपने अपने कार्यक्रम को रद्द किया होता और उसके बाद आप हाउस ऐडजर्न करने की बात करते तो ठीक बात होती। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय वैल में बैठे सभी सदस्य वैल में से उठ कर अपनी-अपनी सीटों पर बैठ गए)।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आज हाउस ऐडजर्न करने में क्या दिक्कत है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार की बात करके आप उनके सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं (विघ्न एवं शोर)

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित सदस्यों और विपक्ष के नेता भी यहीं हैं, को बताना चाहूंगा कि शोक का जहां स्थान होता है उसको वहीं मनाया जाता है। (शोर एवं व्यवधान) यह तो भगवान की माया है कि किस वक्त किस आदमी को अपने पास बुला ले। अध्यक्ष महोदय इनका तो यह हाल है कि अपनी गाड़ी से किसी गांव के पास से जा रहे थे और वहां पर 20-30 बुजुर्ग आदमी ताश खेल रहे थे और इन्होंने वहां पर अपनी कार रोक ली और उनमें से किसी एक को पूछने लगे कि ताऊ पता चला कि थम बीमार थे तो उनमें से वह बुजुर्ग कहता है कि भले आदमी तने दिख नहीं रहा है हम ताश खेल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि एक जगह दो बीरबानी लड़ रही थी। (शोर एवं व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान) जब दोनों बीरबानी आपस में लड़ रही थीं तो उनमें से एक ने दूसरी को कहा कि तेरा खसम मरे, तेरा माई मरे, तेरी औलाद मरे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि जो दूसरी बीरबानी थी उसने पहली वाली को कोई गाली नहीं दी। उसने पहली वाली को कहा कि तेरे घर कांग्रेसी आवें। उसने कोई मगजमारी नहीं करी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में एक मिसाल है कि कांग्रेस जहां जाती है वहां मौत तो होती ही है । (हंसी) (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप सप्लीमैंटरी पूछें ।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज हरियाणा में बिजली की कितनी डिमाण्ड है और कितनी बिजली सप्लाई की जा रही है । इस बारे में कैटेगरीकली बताने का कष्ट करें।(शोर एवं व्यवधान)

एक आवाज : अध्यक्ष महोदय, आपके खिलाफ नोटिस है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जो भी नोटिस लाना चाहते हैं वह लाएं । (शोर एवं व्यवधान) आप यह जो कर रहे हैं इस सबके बावजूद हम आपको सदन से बाहर निकालेंगे नहीं । हम आपकी सारी बात सुनेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपको यहां बैठने का कोई राईट नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, क्या आपको बिना इजाजत खड़े होने का अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री जय प्रकाश जी को बताना चाहूंगा (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं । मंत्री जी जवाब दे रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय , जय प्रकाश जी ने बिजली के बारे में कैटेगरीकली बताने को कहा है । (शोर एवं व्यवधान)

स्पीकर सर, चौधरी देवी लाल जी का नारा था कि लोकराज लोकलाज से चलता है। इसी के अनुसार हमारी सरकार प्रदेश के लोगों को बिजली दे रही है । (विघ्न) स्पीकर सर, इनके पेट में मरोड़ इसलिए ही हो रही है क्योंकि बिजली की सप्लाई प्रदेश में निरन्तर हो रही है । जितनी खाद्यान्न की पैदावार हरियाणा प्रदेश में इस बार हुई है वह इस बात का सबूत है कि हरियाणा प्रदेश में किसानों को भरपूर बिजली मिली है। ये लोग इसलिए वैल में आकर बैठ गए कि कहीं इस सवाल का जवाब न आ जाए । लेकिन इनको ध्यान रखना चाहिए कि अभी तो चौधरी भजन लाल जी ने इनको वैल में ही ठोका है आगे तो ये इनको मोरी में भी ठोक देंगे । (विघ्न) स्पीकर सर, मैं माननीय साध्वी जय प्रकाश जी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में इस बारे में जो कदम उठाए गए हैं जो स्टैप्स लिए गए हैं वह बहुत ही क्रांतिकारी हैं । ये कदम विकास की गति को बताएंगे ।

[श्री रामपाल माजरा]

(शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन पानीपत की 210 मैगावाट की छठी यूनिट का काम 20-9-2001 को शुरू कर दिया गया है। इसी तरह से बिजली की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए पावर एन.टी.पी.सी. से परचेज की जाती है। इसी तरह से डब्ल्यू.वाई.सी. हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रौजेक्ट 14.4 मैगावाट को 2003 में पूरा कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में पानीपत थर्मल पावर प्लांट की सातवीं और आठवीं यूनिट की ऐडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दे दी गयी है। तीस प्रतिशत की जो शेयर इक्विटी स्टेट ने देनी थी उसके बारे में भी एक एम.ओ.यू. साईन हो गया है और पी.एफ.सी. ने इसकी फाईनेंसिंग के लिए हां कर दी है। इसी तरह से पानीपत में मैसर्ज आई.पी.पी.सी.एल. के साथ सारी पावर परचेज करने के लिए भी एक एम.ओ.यू. साईन किया है। उनसे 360 मैगावाट बिजली ली जाएगी। इस तरह से यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट फेज वन और टू भी एक हजार मैगावाट बिजली पैदा करेगा। इसी प्रकार से हिरमा थर्मल पावर प्रौजेक्ट उड़ीसा में लगेगा जो 2006 और 2007 में कम्पलीट होगा। इसी तरह से एन.टी.पी.सी. का 704 मैगावाट का प्रौजेक्ट रेनीसान्स स्टेज में सैकिंड स्टेज में नार्थ करणपुर में लगेगा। इसी प्रकार से गहलोंग कौल डैम प्रोजेक्ट असैपैक्टिड है। इसी तरह से एच.पी.एस.ई. का दादुशाही हाइडल इलैक्ट्रिक प्रौजेक्ट जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल के हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रौजेक्ट को दसवें और ग्यारवें प्लान में पूरा किया जाएगा। इस तरह से हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को और कंज्यूमर्ज को पूरी बिजली देने के लिए प्रयासरत है और दे रही है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ0 भजन लाल : स्पीकर साहब आप हमें बताएं कि डा0 जे.पी. शर्मा की मृत्यु के कारण आज की सीटिंग एडजर्न कर रहे है या नहीं :

Mr. Speaker : It is the pract[illegible] now, that the House is adjourned only when it is necessary to enable membe[illegible] to take in the funeral procession of a sitting member irrespective of the fact whether the deceased held the office of a minister or not :—

> "On the opening day of session it is customary to make obituary references to the passing away of sitting members etc. if death have been taken place in the preceding inter session held, but the House is not adjourned."

वाक-आउट

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजनलाल जी, क्या आप क्वैश्चन पूछना चाहते हैं?

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम इस कार्यवाही को ही नहीं मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर आप क्वैश्चन नहीं पूछते तो फिर गुप्ता जी अपनी सप्लीमैंट्री पूछेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं और हमारी बात को नहीं सुनना चाहते तो हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री जय प्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपनी रिप्लाई में बताया है कि इन्होंने प्रदेश में बिजली की आपूर्ति के लिए अनेक कदम उठाए हैं । मैं इसके लिए इनकी सराहना करता हूं। मैं आपके द्वारा इनसे जानना चाहूंगा कि वर्ष 2005 तक प्रदेश में कितने मैगावाट बिजली बनने लगेगी ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का एक सर्वे किया गया है जो यह बताता है कि वर्ष 2004-2005 में बिजली की जो डिमांड होगी वह कितनी होगी। इस दौरान जो बिजली की रिक्वायरमैंट होगी वह 2209 करोड़ यूनिट होगी और पीक सीजन में 4203 करोड़ यूनिट होगी। जैसा कि मैंने अपनी रिप्लाई में बताया है कि इस डिमांड को मीट आउट करने के लिए हमने कई प्रोजैक्टस टेकअप किए हैं। इनकी सहायता से हम इस डिमांड को मीट आउट कर सकेंगे। इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने भी अपनी हर सभा में कहा है कि तीन वर्ष के बाद तो हरियाणा प्रदेश में बिजली का इतना बफर में उत्पादन होगा कि हरियाणा दूसरे पड़ौसी राज्यों को भी बिजली दे सकेगा।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सी० पी० एस० महोदय से पूछना चाहूंगा कि पानीपत थर्मल पावर प्लांट का 110 मैगावाट का सैकेंड यूनिट जनवरी 1999 से बंद है उसका लोड फैक्टर 110 मैगावाट से बढ़ाकर 118 मैगावाट करने का ठेका जर्मनी की ए० बी० बी० कंपनी को दिया गया था और यह ठेका 350 करोड़ रुपये में दिया गया था। आज वह बंद है एक मैगावाट का प्लांट लगाने के लिए चार से साढ़े चार करोड़ रुपये खर्च आता है और सिर्फ 8 मैगावाट लोड फैक्टर बढ़ाने के लिए ठेका 350 करोड़ रुपये में दिया गया था, उसके बावजूद वह यूनिट पिछले दो साल से बंद है, वह यूनिट प्रति दिन 25 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करती थी और वह आज के दिन बंद है। क्या सी0 पी0 एस0 महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी कंपनी को इसके लिए टाईअप किया है, यदि हां तो उसका ब्यौरा दें ? इसके साथ ही यह भी बताएं कि क्या पानीपत थर्मल प्लांट की 7वीं और 8वीं यूनिट 250-250 की टोटल इस पांच सौ मैगावाट के नये प्लांट के लगने से क्या उस थर्मल पॉवर प्लांट की कोई नयी एसीसमैंट होगी, इसका भी ब्यौरा दें ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने जो प्रश्न किया है कि एक यूनिट बंद है यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि 118 मैगावाट के प्लांट का पहले जर्मनी की ए0बी0बी0 कंपनी को कंट्रैक्ट दिया गया था । इसी प्रकार से इसकी ऑपरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने की योजना भी थी और उसकी टर्म्ज एंड कंडीशन्ज भी थी कि इसकी कैपेसिटी आगे 30 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दी जायेगी। 300 करोड़ रुपये का यह टेंडर था, उस पर काम रुक गया आपस में सिक्योरिटी पैकेज पर कंपनी के साथ कंट्रैक्टर के साथ सरकार का कंट्रैक्ट टूट गया। जो

[श्री रामपाल माजरा]

एम०ओ०यू० था, कंट्रैक्ट था उसका प्रोफार्मा डिसप्यूटिड था। यह ठेका चौधरी बंसी लाल जी के रिजाइम में दिया गया था, उसी को ठीक करके 21-5-1999 को वापस करना था लेकिन यह हो नहीं पाया, हमारी सरकार आने के बाद 17-4-2000 को नये सिरे से कार्य शुरू हुआ, यह सोचा गया कि भारत सरकार से बात करके उनको बीच में लेकर यह कार्य शुरु किया जाए। चीफ सैक्रेटरी ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बाद में चीफ सैक्रेटरी के लैवल पर इस बारे में 16-3-2000 को मीटिंग हुई उस मीटिंग में यह केस आर्बिट्रेशन में चला गया, आर्बिट्रेशन में जाने के बाद इसमें एक कंडीशन यह थी कि न तो जर्मनी का और न ही हमारी स्टेट का इसमें कोई आदमी होगा। इस बात को लेकर नयी कमेटी मुकर्रर हुई और उसकी एक मीटिंग हरियाणा की तरफ से और एक मीटिंग सिंगापुर की तरफ से भी हो चुकी है । इस कमेटी में हमारी तरफ से रिटायर्ड जज श्री एम.सी.जैन लगे हैं इस के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है । इसी प्रकार से इन्होंने यह पूछा कि ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन की 250-250 मैगावाट की 7 वीं 8वीं यूनिट कब काम करना शुरू कर देगी । मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक हरियाणा का नाम इंडिया में सुपर थर्मल पॉवर प्लांट में नहीं है जब ये दोनों यूनिट आ जाएंगी, ढाई तीन वर्षों में यह यूनिट आ जाएंगी तब यह हरियाणा प्रदेश का पहला सुपर थर्मल प्लांट बन जाएगा । इसका काम ढाई तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा ।

Extension of Lal Dora

*708. **Shri Jagjit Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Goverment to extend the Lal Doras of the villages in the State ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत समय सीमा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आबादी लगातार बढ़ रही है यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है इसके उपर कम से कम आधा घण्टा चर्चा करें (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, आप प्रश्न पूछें।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे जनता बहुत दुखी है इस पर आप गौर फरमाएं। जो भी कमेटी बना सकते हैं वह बनाएं या इस पर चर्चा वगैरह करें।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा यहां यह उल्लेख करना उचित समझूंगा कि लाल डोरा बढ़ाने के बारे में तत्कालीन राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22-5-1997 को एक

बैठक हुई थी जिसमें आम राय यह हुई थी कि राज्य में चकबंदी का काम लगभग 98 प्रतिशत पूरा हो गया है और लाल डोरा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। स्पीकर सर, 1908 से बन्दोबस्त का कार्य शुरु हुआ उसमे यह तय हुआ था कि गांव को एक इकाई माना गया था। बन्दोबस्त का कार्य 1908 में शुरु हुआ और 1918-19 में पूरा हुआ। उसके बाद हरियाणा प्रदेश में चकबंदी का कार्य शुरु किया गया और लाल डोरा का स्थान फिरनी ने लिया। माल महकमे ने यह कहा कि गांव वासी गांव के लाल डोरे के बाहर फिरनी में भी अगर अपनी भूमि पर निर्माण करना चाहता है तो वह कर सकता है। जो माननीय साथी ने सवाल किया है उसमें किसी विशेष गांव का जिक्र नहीं किया गया है अगर किसी विशेष गांव की दिक्कत है तो वे उस पर प्रकाश डालें । जैसा कि मैंने पहले बताया कि हरियाणा प्रदेश में चकबन्दी का 98 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और दो प्रतिशत बकाया है। जहां तक लाल डोरा बढ़ाने की बात है मैं पहले ही कह चुका हूं कि अब लाल डोरा का स्थान फिरनी ने ले लिया है।

Allotment of Industrial Plots

*** 738 Shri Krishan Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any industrial plots have been allotted for setting up of Industrial Units in the State by the HSIDC during the period from 1st July, 1996 to 23rd June, 1999 and 24th June, 1999 to 31st March, 2001 separately, if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान् जी, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 407 औद्योगिक प्लाट 1 जुलाई, 1996 से 23 जून, 1999 तथा 2830 प्लाट 24 जून, 1999 से 31 मार्च, 2001 की समय अवधि में आवंटित किए गए हैं।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल प्लाट्स अलाट करने का क्या क्राईटेरिया है, दूसरा एक जुलाई, 1996 से 23 जून, 1999 तक 407 प्लाट्स अलाट किये गये थे और 24 जनवरी से 31 मार्च, 2001 तक 2830 प्लाट्स अलाट किये गये हैं इतना अन्तर कैसे आया उसका ब्यौरा दें ? इन प्लाट्स को अलाट करते समय क्या पोल्युशन की रोकथाम के बारे विशेष ध्यान रखा गया है ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर सर, जो इस लिस्ट में दर्शाया गया है ये केवल इंडस्ट्रियल प्लाट्स दर्शाये गये हैं। बल्कि हुडा की तरफ से 977 औद्योगिक प्लाट्स अलाट किये गये हैं। जो पूरे 4207 प्लाट्स बैठते हैं जोकि 9-10 गुणा पहले से ज्यादा हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने प्लाट्स अलाट करने के बारे में क्राईटेरिया के बारे में सवाल किया है और यह कहा है कि किस प्रकार से प्लाट्स अलाट किये जाते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहले कि सरकार के समय जब प्लाट्स अलाट किये जाते थे तो उस समय प्लाट्स को नीलाम करने का प्रोवीजन था जिसमें नीलाम करने से ज्यादा पैसा जाया होता था और लोग प्लाट्स को कम लेते थे उसके बाद प्रदेश में प्रोहीबीशन था, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब थी और ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती थी, सड़कों की हालत बुरी थी। जब वर्तमान सरकार प्रदेश में बनी तो उन प्रोवीजन में कुछ सिम्पलीफिकेशन की गई और इंडस्ट्रियल प्लाट्स अलाट करने की एक पोलिसी बनाई गई। प्लाट्स अलाट करने का एक क्राईटेरिया बनाया गया। सबसे पहले प्लाट अलाट करने के लिए यह देखा जाता है कि उसकी वायब्लिटी है या नहीं वह उसका इंतजाम कर सकता है या नहीं, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, बैंक बैलेंस है या नहीं उसको कोई फायनैंस करने को तैयार है या नहीं ।

[श्री रामपाल माजरा]

क्या वह मार्केट में विपणन की व्यवस्था कर सकता है या नहीं। इस तरह प्लाट अलाट करने के लिए कई प्रश्न बनाये गये हैं जो पार्टी उन प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार से दे देती है उसको प्लाट अलाट कर दिये जाते हैं इसमें एक प्रोवीजन यह भी रखा हुआ है कि प्लाट जिसके नाम पर अलाट हो जाता है वह उस प्लाट को आगे पट्टे पर भी दे सकता है, आगे ट्रांसफर करने की पोलिसी भी बनाई हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हमारे यहां आए, उन्होंने प्लाट लिए। पिछली सरकारों ने जो प्लॉटस दिए थे उनको इंडीस्ट्रियलिस्ट ने सरैंडर कर दिया था, उनके सरैंडर करने के बाद उन सरकारों ने कुछ नहीं किया लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद इंडस्ट्रियल प्लाट्स पर 40 प्रतिशत काम चल रहा है। यह ठीक है कि उनको प्रोडैक्शन शुरू करने के लिए 3 साल मिलते हैं। इन्होंने यह कहा कि क्या पोल्युशन की रोकथाम का ध्यान रखा गया है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि हां पोल्युशन की रोकथाम का ध्यान रखा गया है । इंडस्ट्रिलिस्टस को पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड से एन.ओ.सी. लेना होता है उसके बाद ही उनको प्लाट मिलता है । यानि हरियाणा सरकार ने उद्योगों के क्षेत्र में जो पोलिसी बनाई है और प्लाट देने की जो नीतियां बनाई हैं उसे उद्योगपतियों ने स्वीकार किया है और लोग खुशी से औद्योगिक क्षेत्रों में आए और उन्होंने प्लाट लिए ।

Amount Released by H.R.D.F.

***770. Shri Nafe Singh Rathi :** Will the Chief Minister be pleased to state the total amount sanctioned/released by the H.R.D.F. Board for the development works in Bahadurgarh constituency during the period from 11-5-96 to 24-7-99 and 25-7-99 to 20-8-2001 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): श्री मान जी, एच.आर.डी.एफ. स्कीम के तहत ग्रामीण विकास कार्यों के लिए बहादुरगढ़ हल्का में 11-5-96 से 24-7-99 तक की अवधि के दौरान 24.79 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 17.69 लाख रुपये की राशि जारी की गई तथा 25-7-99 से 20-8-2001 तक की अवधि के दौरान बहादुरगढ़ हल्का में ग्रामीण विकास कार्यों के लिए 435.39 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 423.64 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही बढ़िया काम एच.आर.डी.एफ. के तहत हरियाणा सरकार ने किया है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)** पिछली सरकारों के समय में जहां विकास कार्यों में भेदभाव हुआ करता था, सवा तीन साल की चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के शासन काल में बहादुरगढ़ में विकास कार्यों पर केवल 17 लाख 69 हजार रुपये लगाए गए जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के इस 2 साल के शासनकाल में बहादुरगढ़ में 4 करोड़ 35 लाख 39 हजार रुपये मुख्य मंत्री महोदय ने दिए । (इस समय मेजें थपथपाई गई)। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी.पी.एस. महोदय से जानना चाहूंगा कि अपोजीशन के जो साथी बैठें हैं उनके क्षेत्रों किलोई, बरवाला, तोशाम, आदमपुर और बेरी में इन दो सालों के दरमियान एच.आर.डी.एफ. स्कीम के तहत कितनी राशि दी गई ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : उपाध्यक्ष महोदय, 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम एक क्रान्तिकारी प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य मंत्री महोदय सभी कांस्टीच्यूएंसीज में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा और विशेष तौर से मैं विपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि वे जहां से प्रतिनिधित्व करते हैं अर्थात् आदमपुर में वे जानना चाहेंगे कि 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत कोई पैसा लगा या नहीं तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आदमपुर में एक करोड़ 67 लाख 30 हजार रुपये दिया गया। इसी प्रकार बरवाला में जहां के विधायक बैठे नहीं हैं वहां 2 करोड़ 59 लाख 11 हजार रुपये दिए गए हैं, किलोई में 1 करोड़ 38 लाख 28 हजार रुपये दिए गए हैं तथा इसी प्रकार बेरी में 1 करोड़ 62 लाख 34 हजार रुपये दिए गए है । (शोर)

डिप्टी स्पीकर सर, तोशाम हल्के के लिए 2 करोड़ 49 लाख 84 हजार रुपये दिऐ गये हैं जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है । माननीय मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नजर में सारा हरियाणा प्रदेश एक है और हरियाणा प्रदेश का विकास करना उनका परम ध्येय है। डिप्टी स्पीकर सर, जब विपक्ष के भाई सत्ता में थे उस समय सारे हरियाणा के विकास का पैसा आदमपुर हल्के में लगाया जाता था या इनके अन्य किसी मंत्री के हल्के में लगाया जाता था । जिस हल्के से विपक्ष का विधायक उस समय होता था उसके हल्के में विकास कार्य बिल्कुल ही नहीं होते थे । चौटाला साहब पहले ऐसे मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने हर हल्के को बराबर समझकर सभी हल्कों में विकास कार्य करवाये हैं और नया आयाम स्थापित किया है।

चौ0 भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है कि इनकी सरकार ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत इतने रुपये आदमपुर में लगाये, इतने रुपये तोशाम में लगाये, इतने रुपये बरवाला में लगाये लेकिन मेरे हल्के आदमपुर में 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत कोई भी दरबार नहीं लगा और न ही तोशाम में लगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो पैसा मौजूदा सरकार गांवों में लगा रही है यह पैसा भारत सरकार की तरफ से आता है और चौटाला साहब स्वयं वाह-वाही लूटना चाहते हैं । मंत्री जी सदन को यह बतायें कि जो पैसा इन्होंने विकास कार्यों में लगाया है वह पैसा भारत सरकार का है या हरियाणा सरकार स्वयं देती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : डिप्टी स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी ने हरियाणा रूरल डवैल्पमैंट फंड के बारे में प्रश्न किया था और विपक्ष के नेता को इतना भी नहीं मालूम कि हरियाणा रूरल डवैल्पमैंट फंड का पैसा भारत सरकार का होता है या हरियाणा सरकार का । डिप्टी स्पीकर सर, मैंने जितने पैसे का जिक्र किया है वह हरियाणा रूरल डवैल्पमैंट फंड का है और हरियाणा के विकास के लिए है। (शोर एवं व्यवधान) मैं चौधरी भजन लाल जी को बताना चाहूंगा कि मेरे पास पूरी लिस्ट है कि कितना काम आदमपुर हल्के में हमारी सरकार ने करवाया है। यदि ये जानना चाहें तो मैं इनको बता सकता हूं कि वहां पर कौन सी चौपाल बनवाई गई, कौन सी गली पक्की करवाई गई। (शोर एवं व्यवधान)

चौ0 भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा पैसा भारत सरकार देती है और वाह-वाही स्वयं चौटाला साहब लूटना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप खड़े होकर बोलें, बैठकर नहीं।

श्री बलवंत सिंह मायना : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्ष के साथियों के पेट में मरोड़े इसलिए उठ रहे हैं कि इनके समय में जनता और सरकार के बीच में जो दूरी इन्होंने बढाई थी उस दूरी को चौधरी ओम प्रकाश धौटाला जी ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत समाप्त करने का काम किया है । विपक्ष के भाईयों को यदि अपने हल्के में कोई दिक्कत है तो ये 'सरकार आपके द्वार ' कार्यक्रम में आते और वहां बताते । ये भाई वहां भी नहीं आये फिर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां भी विकास कार्यों के लिए पैसे भेजे ।

चौ0 जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मायना साहब सप्लीमैंटरी पूछ रहे हैं या भाषण दे रहें हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामफल कुण्डू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी जानना चाहूंगा कि एच.आर.डी.एफ. के तहत गांवों में कौन-कौन से कार्य किये जाते हैं ? उसकी पूरी डिटेल बतायें ।

श्री रामपाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास के तकरीबन सभी कार्य हरियाणा रूरल डवैल्पमैंट फंड के पैसे से ही किये जाते हैं । इस स्कीम के तहत रिटेनिंग वाल बनाने के लिए, स्कूलों के कमरे बनाने के लिए, हरिजन चौपालों के निर्माण के लिए, पंचायत घर बनाने के लिए, गंदे पानी की निकासी करने के लिए, पशु अस्पताल बनाने के लिए, आयुर्वैदिक अस्पताल बनाने के लिए, पशु धन के लिए, शमशान घाटों की चार दीवारी बनाने के लिए, स्कूल की चार दीवारी करने के लिए, गांव में हाल कमरा बनाने के लिये, साईंस रूम बनाने के लिए और जोहड़ में पानी भरने आदि के लिए पैसा दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस स्कीम का इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो कार्य मैंने बताये उन्हीं के लिए पैसा दिया जायेगा किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं दिया जायेगा । यदि गांव में कोई और समस्या हो तो उसके लिए भी इसी स्कीम के तहत पैसे दिये जाते हैं और गांवों का विकास किया जाता है।

Providing of Computers in schools/ Colleges

***767. Prof. Ram Bhagat :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide computers in the Schools/Colleges in the State; if so, the numeber thereof, togetherwith the expenditure to be incurred thereon ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) : हां, श्रीमान जी । राज्य के 55 राजकीय महाविद्यालयों में वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर शिक्षा आरम्भ की जा चुकी है । सरकार का 2243 विद्यालयों में निजी सेवा प्रदाता के माध्यम से स्वयं वित्त-पोषण आधार पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का भी प्रस्ताव है । ऐसे उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, जिनमें पर्याप्त भौतिक मूलभूत सुविधाएं तथा छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक पर्याप्त छात्र संख्या है, इस स्कीम के अन्तर्गत लाये जायेंगे । इस परियोजना के कारण राजकोष पर कोई भार नहीं पड़ेगा ।

प्रो0 राम भगत : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का 2243 विद्यालयों मे निजी सेवा प्रदाता के माध्यम से स्वयं वित्त-पोषण आधार पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान का भी प्रस्ताव है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सैल्फ फाइनैंशियल बेसिज पर स्कूल अपनी तरफ से पैसा जुटा पाएंगे अगर नहीं जुटा पाएंगे तो मुझे शंका है कि स्कूलों के स्टूडैंटस की फीस बढ़ा कर उन पर ज्यादा भार डाला जाएगा। अगर स्टूडैंटस की फीस बढ़ाई जाएगी तो क्या गरीब स्टूडैंटस के

मां बाप वह फीस दे पाएंगे । सरकार ने स्कूलों में स्टूडैंटस को कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान करनी है तो क्या उस पर पैसा खर्च करने के लिए सरकार कोई विकल्प ढूंढ रही है।

चौधरी बहादुर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कालेजों के स्टूडैंटस की कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त करने के लिए 140 रुपए पर-स्टूडैंट फीस रखी गई है और जिस स्कूल में मिनिमम 200 बच्चे कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी 80 रुपए पर-स्टूडैंट फीस रखी है । कम्प्यूटर शिक्षा की फीस के अन्दर शिडयूल्ड कास्टस स्टूडैंटस के लिए जो कन्सैशन है वह 50 परसैंट है और टोटल स्टूडैंटस के लिए 20 परसैंट कन्सैशन है।

प्रो0 राम भगत : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2243 स्कूलों में और 55 कालेजों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू की है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी एजेंसी लगाई है जो यह चैक करेगी कि उन स्कूलों और कालेजों में कम्प्यूटर टैक्नीकली ठीक काम कर रहे हैं या नहीं और क्या वहां पर कम्प्यूटर के लिए एनवायरनमैंट ठीक है या नहीं ?

चौधरी बहादुर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम टाईम टू टाईम चैक करते रहते हैं । उनकी मंथली रिपोर्ट मंगवाई जाती है हम प्रोग्रैस देखते हैं कि कम्प्यूटर ठीक काम कर रहे हैं या नहीं और वहां का वातावरण ठीक है या नहीं। मैं इनको यह भी बताना चाहूंगा कि 291 स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू हो चुकी है और 105 स्कूलों में 15 नवम्बर तक शुरू हो जाएगी। इसी तरह से 55 कालेजों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू हो चुकी है और बादली और इसराना के दो कालेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की मांग के तहत कम्पयूटर शिक्षा देने के केस डैफर कर दिए गए हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 772

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भगवान सहाय रावत सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

Construction of new Grain Market in Ramthali Samadha

***714. Shri Amar Singh Dhandey :** Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new grain market in Ramthali Samadha (Guhla) ; and

(b) if so, the time by which the construction work on the above said grain market is likely to be started ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्दर सिंह सन्धू) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) मार्किट कमेटी चीका (गुहला) के नाम भूमि स्थानान्तरित हो जाने के तुरन्त पश्चात् विकास कार्य प्रारम्भ करवा दिये जायेंगे ।

श्री अमर सिंह ढांडे : डिप्टी स्पीकर साहब, जो भूमि ट्रांसफर करने की बात थी वह डेरे की जमीन है और वह 99 साल के पट्टे पर एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड के नाम कर दी गई है और उसके कागजात एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड के पास हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर मंडी के निर्माण का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

सरदार जसविन्दर सिंह संधू : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दिनांक 23-4-93 को मार्किट कमेटी चीका के तहत रामथली गांव में परचेज सैंटर था उसको सब यार्ड घोषित किया है। ग्राम पंचायत रामथली ने 18 कनाल 12 मरले भूमि इस सब यार्ड की स्थापना के लिए चीका को उपलब्ध करवाई है। अब ग्राम पंचायत ने यह भूमि मार्किट कमेटी चीका को दान में देने हेतू 24-2-99 को प्रस्ताव पारित कर दिया था । 67 कनाल 9 मरले भूमि बाबा हरानन्दपुरी चेला सुरजनपुरी ने दिनांक 24-2-99 को 10 रुपए प्रति वर्ष की दर पर मार्किट कमेटी चीका को 99 साल के पट्टे पर दी है। उपरोक्त भूभाग को मार्किट कमेटी के नाम स्थानान्तरण करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं जब भी भूमि विभाग के नाम हो जाएगी नई अनाज मंडी के निर्माण की योजना बनाई जाएगी ।

श्री धर्मवीर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि हरियाणा का किसान बहुत मेहनती है। सरकार हर साल किसानों से मार्किटिंग बोर्ड के माध्यम से अरबों रूपया वसूल करती है। जैसा कि सभी सदस्यों को मालूम है कि अब की बार किसानों की कपास की फसल काफी खराब हो गई है । कपास की फसल खराब होने से किसानों का करोडों रुपये का नुक्सान हुआ है । मार्किट में जो नकली दवाई आई हैं उनसे भी किसानों को पर एकड़ का 5 से 7 हजार रुपये का नुकसान हुआ है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पैसा मार्किटिंग बोर्ड के माध्यम से किसानों से लेकर इकट्ठा किया हुआ है क्या उस पैसे से सरकार द्वारा किसानों की सहायता की जायेगी ?

सरदार जसविन्दर सिंह सन्धू : डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे तो इस सप्लीमेन्टरी का इस मूल सवाल से कोई संबंध नहीं है लेकिन फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कपास की फसल को जो नुक्सान हुआ है उस बारे में हमने केन्द्र सरकार को लिखा है कि हमारे किसानों की कपास की काफी फसल खराब हो चुकी है इसलिए केन्द्र सरकार हमारे किसानों की मदद करे। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की तरफ से सहायता आने पर ही हम अपने किसानों की मदद कर पायेंगे ।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो फसल बीमा योजना केन्द्र सरकार की सहायता से हरियाणा के किसानों के लिए भी लागू की हुई है क्या उस स्कीम के माध्यम से किसानों को कोई मुआवजा देने बारे सोचा गया है या नहीं ?

सरदार जसविन्दर सिंह सन्धू : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने जो कृषि बीमा योजना लागू की है उसको हर स्टेट में एक जैसे तरीके से प्रीमियम देने के लिए लागू किया हुआ है जबकि हर प्रदेश की स्थिति अलग अलग है। कहीं पर किसी वर्ष बाढ़ आ जाती है, या सूखा पड़ जाता है या और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। हमने केन्द्र सरकार को लिखा है कि हमारी भौगोलिक स्थिति दूसरे प्रदेशों से अलग है इसलिए हमारे प्रदेश को इस केन्द्रीय कृषि फसल बीमा योजना का अलग पैमाना रखते हुए हमें प्रीमियम दिया जाये । इस बारे में मेरी केन्द्रीय कृषि मंत्री और

वित्त मन्त्री जी से भी मीटिंग हुई है। हमने उनको बताया है कि हमारी स्टेट के किसानों के लिए अलग से बीमा पालिसी बनायी जाये और अलग प्रीमियम देने का मापदण्ड निर्धारित किया जाये क्योंकि जो मौजूदा पोलिसी है उससे हमारे प्रदेश के किसानों का कोई फायदा होने वाला नहीं है।

(ii) अति विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत

श्री उपाध्यक्ष : आदरणीय मैम्बर साहेबान, हमारे बीच में कर्नाटक लैजिस्लेटीव असेम्बली की आश्वासन समिति के 8 सदस्य पधारे हैं, अत: मैं इन सभी सदस्यों का यहां पर पधारने के लिए अपनी तरफ से व हाउस की तरफ से स्वागत करता हूं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Commissioning of Sub-stations in the State

***726. Shri Balbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of sub-stations, if any, commissioned and augmented in the State during the period from July, 1999 to till date.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : 1 जुलाई, 1999 से अक्तूबर, 2001 तक 18 नए उपकेन्द्र चालू किए गए हैं तथा 101 चालू उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है।

श्री बलबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि महम कस्बे में जो 33 के0वी0 का सब स्टेशन है उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने 133 के0वी0 सब स्टेशन बनाया जाना मन्जूर किया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पर कब तक काम चालू हो जाएगा ? **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)**

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सवाल पूछा था वह सारे राज्य की डिवैल्पमेंट से संबंधित था कि कितने नए सब स्टेशन बनाये गये हैं या चालू किए गए हैं। अत: मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये इसके लिए अलग से नोटिस दे दें, जवाब दे दिया जायेगा।

Accelerated Water Supply Programme

*** 754 Shri Ramesh Kumar Khatak :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of schemes, if any, approved under Accelerated Urban Water Supply Programme during the last five years together-with the amount released therefore, alongwith the names of the cities which have been covered under the said programme?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्री मान् जी हां-विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

विवरणी

1993-94 से अब तक 22 शहरों की स्कीमें स्वीकृत की गई जिनकी अनुमानित राशि 35.64 करोड़ रुपये है । उनमें से पिछले 5 सालों में 17 शहरों की स्कीमों की जिनकी अनुमानित राशि 30.57 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई । जिनमें से 5 स्कीम पूर्ण हो चुकी हैं और 3 स्कीम मार्च, 2002 तक पूर्ण हो जायेंगी तथा शेष स्कीमें मार्च, 2003 तक पूर्ण होने की सम्भवना है। जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमानित राशि (रुपये लाखों में)	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की तिथि	उपलब्ध राशि	शहर का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	जल वितरण योजना सोहना की बढ़ौतरी।	77.30	3/1994	80.95	सोहना
2.	जल वितरण योजना पटौदी की बढ़ौतरी।	62.50	3/1994	62.69	पटौदी
3.	जल वितरण योजना नारनौंद की बढ़ौतरी।	93.00	3/1994	92.95	नारनौंद
4.	जल वितरण योजना कनीना की बढ़ौतरी।	51.00	3/1994	51.16	कनीना
5.	जल वितरण योजना बवानी खेड़ा की बढ़ौतरी।	223.54	3/1994	223.54	बवानी खेड़ा
6.	जल वितरण योजना लाडवू की बढ़ौतरी।	122.91	2/1997	122.90	लाडवू
7.	जल वितरण योजना असन्ध की बढ़ौतरी।	247.32	4/1999	247.32	असन्ध
8.	जल वितरण योजना रतिया की बढ़ौतरी।	85.22	8/1998	87.61	रतिया
9.	जल वितरण योजना उचाना की बढ़ौतरी।	103.42	12/1998	103.42	उचाना
10.	जल वितरण योजना कलानौर की बढ़ौतरी।	112.93	3/1999	212.93	कलानौर

1	2	3	4	5	6
11.	जल वितरण योजना खरखौदा की बढ़ौतरी।	122.53	4/1998	121.53	खरखौदा
12.	जल वितरण योजना नारायणगढ़ की बढ़ौतरी।	97.50	11/1999	97.50	नारायणगढ़
13	जल वितरण योजना सढ़ौरा की बढ़ौतरी।	80.00	11/1999	80.00	सढ़ौरा
14.	जल वितरण योजना इन्द्री की बढ़ौतरी।	88.00	12/1999	88.00	इन्द्री
15.	जल वितरण योजना नूह की बढ़ौतरी।	165.00	11/2000	94.00	नूह
16.	जल वितरण योजना महम की बढ़ौतरी।	252.00	11/2000	105.00	महम
17.	जल वितरण योजना फिरोजपुर झिरका की बढ़ौतरी।	92.66	12/2000	85.00	फिरोजपुर झिरका
18.	जल वितरण योजना महिन्द्रगढ़ की बढ़ौतरी।	232.87	1/2001	107.50	महिन्द्रगढ़
19.	जल वितरण योजना हेली मण्डी की बढ़ौतरी।	123.82	1/2001	85.00	हेली मण्डी
20.	जल वितरण योजना कलांवाली की बढ़ौतरी।	245.43	1/2001	110.00	कलांवाली
21.	जल वितरण योजना बेरी की बढ़ौतरी।	348.30	1/2001	97.38	बेरी
22.	जल वितरण योजना पिंजौर की बढ़ौतरी।	286.70	1/2001	87.72	पिंजौर
	कुल योग	3584.45		2444.10	

वर्ष 1993-94 से मास 8/1999 तक 11 स्कीमें जिनकी अनुमानित राशि 14.01 करोड़ रुपये है, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई । यह उल्लेखनीय है कि मास 8/1999 के बाद 11 स्कीमें जिनकी अनुमानित राशि 21.63 करोड़ रुपये है भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है।

16.00 बजे **श्री रमेश कुमार खटक :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में दर्शाया है कि पांच स्कीमें पूर्ण हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो स्कीमें पूर्ण हो चूकी हैं वे कौन-कौन सी हैं और जो तीन योजनाएं मार्च, 2002 तक पूर्ण होंगी वे

[श्री रमेश कुमार खटक]

स्कीमें कौन-कौन सी हैं तथा जो योजनाएं 2003 तक पूर्ण होने वाली हैं, वे कौन-कौन सी हैं ? क्या मन्त्री महोदय इन स्कीमों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर सर, जिस प्रकार से त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के बारे में माननीय साथी ने जानना चाहा है कि वे कौन-कौन सी स्कीमें है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये कुल 22 स्कीमें हैं। जो स्वीकृत की गई हैं। जो पांच स्कीमें पूरी हो चूकी हैं वे इस प्रकार हैं। जल वितरण योजना, सोहना, जल वितरण योजना, पटौदी, जल वितरण योजना, नारनौंद, जल वितरण योजना कनीना जल वितरण योजना, भवानी खेड़ा में योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। जल वितरण योजना तावडू की बढौतरी, जल वितरण योजना, असन्ध, जल वितरण योजना, रतिया, ये योजनाएं सन् 2002 तक पूरी हो जाएंगी। जो योजनाएं सन् 2003 तक पूरी होंगी उनका विवरण भी मैं इनको बता देता हूं। जल वितरण योजना, उचाना, जल वितरण योजना, कलानौर, जल वितरण योजना, खरखौदा, जल वितरण योजना, नारायणगढ़, जल वितरण योजना, साढौरा, जल वितरण योजना, इन्द्री, सन् 2003 तक पूरी हो जाएंगी । इसी प्रकार से महम, फिरोजपुर झिरका, महेन्द्रगढ़, हेली मण्डी, कालांवाली, बेरी और पिंजौर सन् 2003 तक पूरी हो जाएंगी । अध्यक्ष महोदय, यह वस्तुस्थिति है।

Amount Released by HRDF

*** 781. Shri Bishan Lal Saini :** Will the Chief Minister be pleased to state .—

(a) the total amount sanctioned/released by H.R.D.F. Board for various development works int the State during the period from 1-4-1991 to 24-7-1999;

(b) the total amount sanctioned/released by the H.R.D.F. Board for various development works in the State in first and second phase of 'Sarkar Aapke Dwar' programme during the period from 25-7-1999 to 30-6-2001 ; and 1-7-2001 to 20-8-2001 respectively ; and

(c) the total amount sanctioned/released for the Construction of streets under the H.R.D.F scheme in the first and second phase of 'Sarkar Aapke Dwar' programme during the period from 25-7-1999 to 30-6-2001; and 1-7-2001 to 20-8-2001 respectively ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): श्री मान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

(क) 1-4-91 से 24-7-99 तक की अवधि के दौरान हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड द्वारा राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 349.31 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 319.78 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

(ख) 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-1 में 25-7-1999 से 30-6-2001 तक की अवधि के दौरान राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिये 213.38 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 197.61 करोड़ रुपये

की राशि जारी की गई तथा 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-II में 1-7-2001 से 20-8-2001 तक की अवधि के दौरान राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिये 99.49 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 92.84 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

(ग) 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-1 में 25-7-99 से 30-6-2001 तक की अवधि के दौरान एच.आर.डी.एफ. बोर्ड द्वारा गलियों के निर्माण के लिए 80.32 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 71.58 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई तथा 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-II में 1-7-2001से 20-8-2001 तक की अवधि के दौरान एच.आर.डी.एफ. स्कीम के तहत गलियों के निर्माण के लिए 38.33 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 33.58 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई ।

श्री बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सी.पी.एस. महोदय से यह जानना चाहता हूं कि फेज-I तथा फेज-II में जगाधरी विधान सभा क्षेत्र के लिए इस बोर्ड से कितनी राशि दी गई है ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से पहले भी अर्ज किया था कि हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री जी 'सरकार आपके द्वार' प्रोग्राम के तहत जहां जहां भी गये हैं वहां पर हम दूसरे फेज को भी कवर करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इनके वक्त में जगाधरी में कितना पैसा रिलीज हुआ और हमने कितना पैसा दिया है वह भी बता दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में विकास की आंधी आई तो जगाधरी भी अछूता नहीं रहा। इस आंधी के आते हुए जगाधरी में पहले फेज में 1 करोड़ 50 लाख 54 हजार रुपए दिए गए थे और दूसरे फेज में 3 करोड़ 31 लाख रुपए दिए गए हैं। यह विकास की आंधी चलते चलते सारे हरियाणा में एक तूफान बन गई जिससे इनके पेट में मरोड़े लग रहे हैं। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में एच0आर0डी0एफ0 का जो पैसा है इनको ग्राम समितियों द्वारा खर्च किया जाएगा या इस पैसे को कोई और एजैंसी खर्च करेगी ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि हरियाणा प्रदेश में यह जो पैसा गांवों में दिया गया है वह कौन खर्च करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर हर गांव में विकास समितियां बनी हैं। हरियाणा के अन्दर छः हजार विकास समितियां बनाई गई हैं। उन विकास समितियों के द्वारा हरियाणा प्रदेश में विकास किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के सभी गांवों के लोगों ने इसमें विश्वास व्यक्त किया है। वे समितियां हर प्रोग्राम को ठीक तरह से देखेंगी, मैटिरियल को चैक करेंगी, अच्छी तरह से नार्म्ज एडाप्ट करेंगी। हरियाणा प्रदेश के गांवों के लोग अपनी कमेटी बनाकर के गलियों में खड़े होकर एक एक ईंट गिन-गिन कर लगवाएंगे।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Retaining Wall

*** 760. Shri Bhag Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state.—

(a) the total amount sanctioned/released by H.R.D.F. Board for the construction of retaining wall in the State during the period from 1-4-1991 to 24-7-1999 ;

(b) the amount sanctioned/released under the H.R.D.F. scheme for the construction of retaining wall in the State in first phase of 'Sarkar Apke Dwar' programme during the period from 25-7-1999 to 30-6-2001 ;

(c) the total amount sanctioned/released by H.R.D.F. Board for the construction of school rooms in the State during the period from 1-4-1991 to 24-7-1999 ; and

(d) the amount sanctioned/released under the H.R.D.F. scheme for the construction of school rooms in the State in the first and second phase of 'Sarkar Apke Dwar' programme during the period from 25-7-1999 to 30-6-2001 and 1-7-2001 to 20-8-2001 ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्री मान जी,

(क) 1-4-91 से 24-7-99 तक की अवधि के दौरान हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड द्वारा गांवों में तालाबों के साथ रिटेनिंगवाल के निर्माण हेतू हरियाणा राज्य में 4.43 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 3.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

(ख) "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के अर्न्तगत फेज-I में 25-7-99 से 30-6-2001 तक की अवधि के दौरान हरियाणा राज्य में रिटेनिंगवाल के निर्माण हेतू 28.73 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी जिसमे से 25.68 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई।

(ग) हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड द्वारा 1-4-91 से 24-7-99 तक की अवधि के दौरान स्कूल कमरों के निर्माण के लिए 29.77 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत व जारी की गई।

(घ) "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के अर्न्तगत फेज-I में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड द्वारा 25-7-99 से 30-6-2001 तक की अवधि के दौरान स्कूल कमरों के निर्माण के लिए 17.70 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत व जारी

की गई तथा "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के अर्न्तगत फेज-II में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड द्वारा 1-7-2001 से 20-8-2001 तक की अवधि के दौरान स्कूल कमरों के निर्माण के लिए 7.88 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत व जारी की गई।

Sanction/Release of Fund for Veterinary Hospitals etc.

*** 752. Shri Ram Kuwar Saini :** Will the Minister for Animal Husbandry be pleased to state,—

(a) the total amount sanctioned/released for the construction/repair of Veterinery Hospitals/SMC/Veterinary Dispensaries in the State during the period from 11-5-1996 to 24-7-1999; and

(b) the total amount sanctioned/released for the construction/repair of Veterinery Hospitals/SMC and Veterinary Dispensaries in the first and second phase of 'Sarkar Apke Dwar' programme during the period from 25-7-1999 to 30-6-2001 and 1-7-2001 to 20-8-2001 respectively ?

पशु पालन राज्य मंत्री (चौ० मोहम्मद इलियास) :

(क) श्रीमान् दिनांक 11-5-1996 से 24-7-99 तक 140.61 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 117.06 लाख रुपये की राशि इस उद्देश्य के लिये जारी की गई थी।

(ख) " सरकार आपके द्वार कार्यक्रम " के प्रथम चरण के अन्तर्गत 25-7-1999 से 30-6-2001 तक 858.18 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से 812.61 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। द्वितीय चरण 1-7-2001 से 20-8-2001 की अवधि में 203.26 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 182.47 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

Digging of a Drain in Village Nigdu

*** 731. Shri Dharam Pal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to dig out a drain in Village Nigdu ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान जी, गांव निगदू के लिए पुण्डरी ड्रेन नं०-1 की बूर्जी नं० 55000 से 89000 तक के निर्माण के लिए एक योजना सरकार एवं नाबार्ड द्वारा आर०आई०डी० एफ०-8 परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी है।

Augment the Water supply

*** 778. Shri Pawan Kumar Diwan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to augment the water supply in the State; if so, the details thereof and the name of cities/villages in which the said scheme is being implemented ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्री मान जी, विवरण का अनुबंध @(क एवं ख) सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

अनुबन्ध-ख

राज्य के शहरी क्षेत्रों में जिलावार/शहरवार जल वितरण योजनाओं में बढ़ोत्तरी की स्थिति

शहर		योजना का नाम	अनुमानित राशि (रुपए लाखों में)
1		2	3
जिला अम्बाला			
अम्बाला शहर	1.	अम्बाला शहर में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	750.00
	2.	बलदेव नगर, अम्बाला शहर में जल वितरण की योजना की बढ़ोत्तरी	113.00
	3.	अम्बाला शहर की शालीमार कालोनी में अतिरिक्त ट्यूबवैल लगाना	15.00
	4.	अम्बाला शहर के बलदेव नगर कैम्प में एक गहरा नलकूप लगाना	14.40
अम्बाला छावनी	1.	अम्बाला छावनी में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	1500.00
	2.	सुभाष नगर, एम०सी० कालोनी अम्बाला छावनी में दो गहरे ट्यूबवैल लगवाना	28.41
	3.	अनाज मंडी व दशहरा ग्राउंड अम्बाला छावनी में दो गहरे ट्यूबवैल लगवाना	34.32
	4.	अम्बाला छावनी में 15 ट्यूबवैलों की मशीनरी को बदलना	7.80
नारायणगढ़	1.	नारायणगढ़ शहर में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	97.50
जिला भिवानी			
भिवानी	1.	भिवानी में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	2000.00
	2.	भिवानी शहर में जल वितरण की योजना की बढ़ोत्तरी व मजबूती	445.00
बरखी दादरी	1.	बरखी दादरी में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	427.00

@ Kept in the Library as ordered by the Chair.

1		2	3
जिला फरीदाबाद			
होडल	1.	होडल शहर में जल वितरण योजना में सुधार	447.00
	2.	होडल शहर की जल वितरण की योजना की बढ़ोत्तरी के लिए 4 शैलो नल कूप लगाना	18.66
पलवल		पलवल शहर की जल वितरण योजना में बढ़ोत्तरी	285.00
जिला फतेहाबाद			
फतेहाबाद		फतेहाबाद में जल वितरण योजना में बढ़ोत्तरी	170.00
टोहाना		टोहाना में जल वितरण योजना में बढ़ोत्तरी	92.20
रतिया		रतिया में जल वितरण योजना में बढ़ोत्तरी	85.22
जिला गुडगांव			
गुडगांव	1.	गुडगांव में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	340.00
	2.	अतिरिक्त वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए गुडगांव शहर में वितरण योजना में बढ़ोत्तरी	144.60
	3.	अवधपुरी, राजेन्द्र पार्क गुडगांव में जल वितरण योजना प्रदान करना	12.00
सोहना	1.	सोहना शहर की जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी व मजबूती।	44.07
	2.	सोहना शहर में दो नलकूप लगाना	14.00
	3.	सोहना शहर में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	77.30
नूंह	1.	नूंह शहर में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	165.00
	2.	नूंह शहर में जल वितरण योजना में सुधार	7.85
	3.	नूंह शहर में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	40.82
	4.	नूंह शहर में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	94.00
फिरोजपुर	1.	फिरोजपुर झिरका शहर में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	23.14
	2.	फिरोजपुर झिरका शहर में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	92.66
जिला हिसार			
हिसार		हिसार में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	2824.00
हांसी	1.	हांसी में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	705.13
	2.	हांसी में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	18.00

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

1	2	3
जिला जींद		
जींद	1. पुराना शहर जींद में जल वितरण योजना की बढोत्तरी	66.00
	2. जोगेन्द्र नगर व ओम नगर जींद में जल वितरण योजना की बढोत्तरी	14.00
नरवाना	1. नरवाना में जल वितरण योजना की बढोत्तरी	385.00
	2. बरवाला लिंक नहर जल वितरण योजना	
	1. बरवाला से आर०सी०सी० ईनलैट चैनल लगाना	
सफीदों	1. राजीव चौक, सफीदों399 में नलकूप प्रदान करना	6.00
जिला झज्जर		
झज्जर	1. झज्जर में जल वितरण योजना का सुधार	230.00
बहादुरगढ़	1. बहादुर गढ़ में जल वितरण योजना की बढोत्तरी	561.00
जिला कैथल		
कैथल	1. कैथल में जल वितरण योजना की बढोत्तरी	1470.00
	2. राजेन्द्रा व चरणजीव कालोनी कैथल में जल वितरण सुविधा की बढोतरी	15.25
	3. महादेव कालोनी कैथल की जल वितरण सुविधाएं प्रदान करना	27.80
	4. राधा स्वामी कालोनी कैथल में जल वितरण सुविधाएं प्रदान करना	12.50
	5. अग्रसेन कालोनी कैथल में जल वितरण सुविधाए प्रदान करना	2.62
चीका	1. चीका में जल वितरण योजना प्रदान करना	48.00
जिला करनाल		
करनाल	1. मास्टर जल वितरण योजना करनाल	1518.20
	2. करनाल जल वितरण योजना के लिए चार नलकूप लगाना	14.24
	3. करण विहार कालोनी करनाल में जल वितरण योजना प्रदान करना	24.00
घरोंडा	घरोंडा जल वितरण योजना में नल कूप लगाना	5.70
असन्ध	असन्ध में जल योजना की बढोतरी	247.32

1	2	3
जिला कुरुक्षेत्र		
कुरुक्षेत्र	1. टी०पी० स्कीम नं० 7 ए०, बी०, सी०, पांच और छः कुरुक्षेत्र में जल वितरण सुविधा प्रदान करना	130.55
	2. वशिष्ट कालोनी कुरुक्षेत्र में जल वितरण सुविधा प्रदान करना	30.23
	3. कुरुक्षेत्र जल वितरण योजना के लिए एक नलकूप लगाना	6.50
थानेसर	1. टी०पी० स्कीम 6 भाग-सी प्रोफेसर कालोनी थानेसर में जल वितरण सुविधा प्रदान करना	101.15
	2. पुराने थानेसर शहर के लिए अतिरिक्त नलकूप लगाना	7.54
	3. कैलाश नगर थानेसर में जल वितरण सुविधा प्रदान करना	14.31
	4. थानेसर के अर्बन एरिया नं० 6 भाग बी में जल वितरण सुविधा प्रदान करना।	95.20
शाहाबाद	1. शाहाबाद की स्वीकृत कालोनियों में जल वितरण सुविधा प्रदान करना	21.95
पिहोवा	1. पिहोवा जल वितरण योजना की बूस्टिंग स्टेशन के साथ बढ़ोत्तरी	33.57
	2. पिहोवा जल वितरण के लिए एक अतिरिक्त नलकूप लगाने हेतु	5.10
	3. पिहोवा जल वितरण के लिए एक अतिरिक्त नलकूप लगाने हेतु	5.00
लाडवा	1. लाडवा की बकाया गलियों मे पानी की पाइप बिछाना	21.62
जिला महेन्द्र गढ़		
महेन्द्र गढ़	1. महेन्द्रगढ़ जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	332.87
	2. महेन्द्रगढ़ जल वितरण योजना में सुधार	24.19
नारनौल	1. नारनौल जल वितरण योजना में सुधार	250.00
	2. मोदी नगर नारनौल में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण	15.00

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

1		2	3
	3.	नारनौल जल वितरण योजना में गांव पोजिदां के पास तीन नलकूप लगाना।	19.72
	4.	नारनौल जल वितरण योजना के लिए कृष्णावती नदी, रिवाड़ी रोड़ या शाहपुर मण्डी के नजदीक 5 नलकूप लगाना	36.00
जिला पंचकूला			
कालका	1.	कालका में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	103.00
पिंजौर	1.	पिंजौर में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	286.70
जिला पानीपत			
पानीपत	1.	पानीपत में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	816.87
समालखा	2.	समालखा में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	39.59
जिला रिवाड़ी			
रिवाड़ी	1.	रिवाड़ी में जल वितरण योजना में बढ़ोत्तरी	320.00
	2.	कुतबपुर रिवाड़ी की विभिन्न गलियों में जल वितरण योजना प्रदान करना	41.16
	3.	साधु साहा नगर, अरजन नगर, रिवाड़ी में जल सुविधा प्रदान करना	18.66
	4.	राम सिंह कुरा, शिव कालोनी रिवाड़ी में जल	27.40
	5.	कंपनी बाग रिवाड़ी में जल सुविधा की बढ़ोत्तरी	3.70
	6.	रिवाड़ी शहर की जल वितरण योजना में बढ़ोत्तरी	250.00
जिला रोहतक			
रोहतक	1.	रोहतक में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	410.00
	2.	इंदिरा कालोनी रोहतक में जल सुविधा प्रदान करना	22.46
	3.	रोहतक की विभिन्न कालोनियों में पाईप लाईन बिछाने बारे	50.00
	4.	विजय नगर में रोहतक में जल सुविधा प्रदान करना	39.05
	5.	रोहतक की पश्चिम दिशा के विभिन्न स्थानों पर पाईप लाइन बिछाना में	94.32
	6.	रोहतक में हनुमान कालोनी में पाइप लाइन बिछाना	33.26
	7.	माडल टाउन रोहतक में पाइप लाइन बिछाना	18.87

1	2	3
	8. सीनियर सैकेण्डरी स्कूल रोहतक के बूस्टिंग स्टेशन के लिए पाइप लाइन बिछाना	14.24
	9. रोहतक के दूसरे जल घर पर 3.00 एम० जी० डी० का पानी संयन्त्र लगाना	115.00
महम	1. महम में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	252.50
जिला सोनीपत		
सोनीपत	1. सोनीपत में रेलवे लाइन की पश्चिम की तरफ जल सुविधा प्रदान करना	410.00
	2. सोनीपत की जल वितरण प्रणाली के लिए छः नलकूप लगाना	47.00
	3. सोनीपत की अस्वीकृत कालोनियों में जल वितरण सुविधा बढ़ाना	63.22
गन्नौर	1. गन्नौर में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	160.00
	2. गांधीनगर गन्नौर में अतिरिक्त ट्यूबवैल लगाना	7.00
गोहाना	1. गोहाना में नहर पर आधारित जल वितरण योजना जल सुविधा प्रदान करना	885.00
	2. गोहाना में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	45.47
	3. गोहाना में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी एवं सुधार	40.00
	4. गोहाना के विभिन्न मोहल्लों में जल वितरण सुविधा प्रधान करना	20.00
जिला सिरसा		
सिरसा	1. मिनी सचिवालय, द्वितीय जलघर सिरसा में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	193.39
	2. सिरसा के आसपास के इलाके में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	83.37
	3. रामनगरिया सिरसा में जल वितरण योजना की बढ़ोत्तरी	20.60
	4. सिरसा में पांच जलघर बनाना	27.50
	5. कीर्तिनगर सिरसा में एक ओ० एच० एस० आर० बनाना	17.50

Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Haryana Chandigarh

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

1		2	3
	6.	सिरसा में जल वितरण योजना की बढोत्तरी	270.00
	7.	खानपुर फ्रैंड्स कालोनी सिरसा में एक ट्यूबवैल लगाना	20.00
डबवाली	1.	मंडी डबवाली में जल वितरण में जल वितरण योजना की बढोत्तरी	301.00
कालांवाली	1.	कालांवाली में जल वितरण योजना की बढोत्तरी	40.69
	2.	कालांवाली में जल वितरण योजना की बढोत्तरी	245.43
	3.	कालांवाली में जल वितरण प्रणाली व चारदीवारी बनाना	158.00
रानियां	1.	रानियां में जल वितरण योजना में बढोत्तरी	70.00
ऐलनाबाद	1.	ऐलनाबाद में जल वितरण योजना में बढोत्तरी	90.00
जिला यमुनानगर			
यमुनानगर	1.	यमुनानगर की विभिन्न कालोनियों में जल वितरण योजना की बढोत्तरी	473.00
जगाधरी	1.	जगाधरी में जल वितरण योजना की बढोत्तरी	101.36
	2.	जगाधरी में सरस्वती, बुरीया चौंक में जल वितरण योजना की बढोत्तरी	35.71

Electricity Provided to Farmers

*** 750. Shri Tejvir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the total quantum of electricity in units was supplied to the farmers for agriculture purpose in the State during the year 1997 to 2001 separately ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : वर्ष 1997 से 2001 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रदान की गई बिजली जोकि मूलत: कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग की गई, उसकी कुल मात्रा के आँकड़े वर्षानुसार निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	यूनिट्स (लाखों में)	औसत/प्रतिदिन (लाखों में)
1	2	3
1997-98	63454	174
1998-99	67179	184
1999-2000	80475	220
2000-2001	85516	234
2001-02/अक्तूबर, 2001 तक	54107	253

Construction of road from Datrath to Kharakgadian

*** 805. Shri Ram Kumar Katwal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from village Datrath to Kharakgadian in Rajaund Constituency; if so; the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं, श्री मान जी,

Amount released for Rural Development

*** 728. Shri Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state the total amount sanctioned/released by the H.R.D.F. Board for various rural development works in Dabwali Constituency during the period from 11-5-96 to 24-7-99 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्री मान जी, एच०आर०डी०एफ० स्कीम के तहत ग्रामीण विकास कार्यों के लिए डबवाली हल्का जिला सिरसा में 11-5-96 से 24-7-99 तक की अवधि के दौरान कोई भी राशि स्वीकृत/जारी नहीं की गई।

Losses in power utilities

*** 755. Shri Puran Singh Dabra :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that power utilities in the State are incurring commercial losses;

(b) if so, the details of the aforesaid losses during the year 2000-2001; and

(c) whether the losses referred to part 'a' above have increased as compared to the year 1999-2000 ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) एवं (ख) वर्ष 2000-01 के लिए तदर्थ आडिट न किए गए लेखा के अनुसार हरियाणा विद्युत इकाइयों को 226.90 करोड़ रुपए का वाणिज्यिक घाटा हुआ है जिसमें आन्तरिक यूटीलिटी मीटरों की संस्थापना लम्बित होने से वितरण इकाइयों को बेची गई बिजली की यूनिटों के समंजन न होने के कारण 61.22 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल है।

(ग) नहीं श्रीमान, वाणिज्यक घाटा 64.17 प्रतिशत कम है अर्थात 1999-2000 के दौरान 633.34 करोड़ रुपये घाटा था जबकि 2000-01 के दौरान 226.90 करोड़ रुपए है।

Amount sanctioned for Development Works

*** 720. Shri Dina Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of the amount sanctioned/released by H.R.D.F. Board in the Dabwali Constituency in Sirsa District and in Badli Constituency

[Shri Dina Ram]

in Jhajjar District in the first phase of 'Sarkar Apke Dawar Programme' during the period from 25-7-99 to 30-6-2001; and

(b) the details of the amount sanctioned/released under H.R.D.F. Scheme for the rural development works in Badli Constituency during the period from 11-5-1996 to 24-7-1999 ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्रीमान जी, एच०आर०डी० बोर्ड द्वारा "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-I के दौरान 25-7-99 से 30-6-2001 तक की अवधि के दौरान निम्न ब्यौरे अनुसार राशि स्वीकृत व जारी की गई :—

(क) (राशि लाखों में)

जिला	हल्का	स्वीकृत राशि	जारी राशि
सिरसा	डबवाली	446.15	365.48
झज्जर	बादली	274.83	272.57

(ख) एच०आर०डी०एफ० स्कीम के तहत ग्रामीण विकास कार्यों के लिए बादली हल्का जिला झज्जर में 11-5-96 से 24-7-99 तक की अवधि के दौरान 23.30 लाख रुपये की राशि स्वीकृत व जारी की गई है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mid-Day-Meal

57. Shri Jai Parkash : Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) the name of schools in which Mid-Day-Meal facility is being provided in the State; and

(b) whether any financial assistance is being provided by the Union Government to the schools referred to in part (a) above; if so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) :

(क) मध्याह्न पोषाहार की सुविधा सभी (8677) राजकीय प्राथमिक स्कूलों तथा 163 राजकीय मान्यता प्राप्त (एडिड) स्कूलों में दी जा रही है।

(ख) केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है लेकिन मुफ्त खाद्यान्न (गेहूं/चावल) जो बच्चों में बांटा जाता है, के साथ परिवहन प्रभार भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।

Grants for construction of Stadium

45. Shri Jagjit Singh : Will the Chief Minister be pleased to State—

(a) whether any request has been received from Dadri Education Society for providing of grant for the construction of Netaji Stadium at Charkhi Dadri; and

(b) if so, the action taken thereon ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(अ) नहीं, श्रीमान्।

(ब) उक्त, (अ) के बारे प्रश्न ही नहीं उठता।

Encroachment on Government Land in Charkhi Dadri

46. Shri Jagjit Singh : Will the Minister of State for Local Government be pleased to State—

(a) whether it is a fact that there is an encroachment in large scale on the Government land in Charkhi Dadri; and

(b) if so, steps so far taken or proposed to be taken to check the said encroachments ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

नगरपालिका, चरखी दादरी में हरियाणा सरकार या केन्द्रीय सरकार की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) पर वर्णित स्थिति को मध्यनजर रखते हुए कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

Repair of Streets

47. Shri Jagjit Singh : Will the Chief Minister be pleased to State—

(a) whether it is a fact that streets in the villages of Imlota, Nimri, Bhagwi, Samaspur, Mori, Charkhi, Paintawas-Kalan, Chhapar, Birhi, Mehra and Kheri Bura are in very bad condition; and

[Shri Jagjit Singh]

(b) if so, time by which these are likely to be repaired or reconstructed ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं, श्री मान जी।

(क) गांव इमलोटा, नीमड़ी, भागवी, समसपुर, मोड़ी, चरखी, पैंतावास-कलां, छप्पार, बिरही, मेहरा तथा खेड़ी बूरा में गलियों की स्थिति संतोषजनक है। इन गांवों में गलियों के निर्माण के लिए उपलब्ध करवाई गई राशि का विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

(ख) उक्तानुसार।

विवरण

25-7-99 से 28-10-2001 तक की अवधि के दौरान जारी की गई राशि

	स्कीम का नाम			राशि (लाखों में)	
गांव का नाम	एच.आर. डी.एफ.	एम.पी. एल.ए.डी.	ई.ए.एस	जे.जी.एस. वाई	कुल योग
1	2	3	4	5	6
इमलोटा	5.000	-	-	0.328	5.328
नीमड़ी	3.982	0.250	-	0.120	4.352
भागवी	5.000	-	-	0.315	5.315
समसपुर	5.000	-	-	0.520	5.520
मोड़ी	-	-	0.400	0.230	0.630
चरखी	10.000	-	1.100	0.448	11.548
पैंतावास-कलां	-	-	-	0.260	0.260
छप्पार	-	-	-	0.300	0.300
बिरही	1.310	2.500	0.450	0.300	4.560
मेहरा	2.00	-	0.850	0.176	3.026
खेड़ी बूरा	-	-	1.550	0.200	1.750
कुल योग	**32.292**	**2.750**	**4.350**	**3.197**	**42.589**

Shortage of Drinking Water

48. Shri Jagjit Singh : Will the Chief Minister be pleased to State—

(a) whether it is a fact that water supply scheme of the villages Misri, Imlata and Bhageshwari is not functioning properly ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to make it functional properly ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं, श्री मान जी। परन्तु गांव मिसरी, इमलोटा और भागेश्वरी में नहरी पानी कम उपलब्ध होने के कारण पीने के पानी की कुछ कमी है।

(ख) पीने के पानी में बढ़ोतरी करने के लिए अस्थाई तौर पर कम गहराई वाले नलकूप लगाए गए हैं।

Amount spent on Sewerage System

55. Capt. Ajay Singh Yadav : Will the Chief Minister be pleased to state the details of the amount spent on account of laying of Sewerage lines in various colonies of Rewari City during the years 1998-1999, 1999-2000 and 2000-2001 till to date ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : खर्च की गई राशि का ब्यौरा

वर्ष	रुपये लाखों में
1998-1999	9.64
1999-2000	12.40
2000-2001	15.04
2001- अब तक	2.28

Modernisation of Police Force

56. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total amount earmarked for the modernisation of Police Force during the year 1988;

(b) the detail of the amount spent out of the amount referred to in part (a) above; and

(c) the details of the amount spent on each item during the aforesaid period togetherwith the said items are working in order ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) वर्ष 1988 में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

(ख) सूचि सदन पटल के समक्ष रखी गई है।

(ग) सूचि में दर्शायी गई सभी वस्तुएं सुचारू-रूप से कार्य कर रही है सिवाय मैटल-डिटैक्टर के जो रुपये 77,896/- के खरीदे गये थे उसे वर्ष 2001 में बाई बैक स्कीम के तहत नये खरीद किये गये है।

सूचि

राज्य अपराध अन्वेशन ब्यूरो रुपये 16,21,100/-

क्र० संख्या	वस्तु	राशि
1	2	3
1.	7 नं० डाटा एन्ट्री डिवाईस	4,00,000
2.	10 नं० पी०सी० छिपाई यन्त्र के साथ	6,00,000
3.	अप-ग्रेडेशन डाटा एन्ट्री डिवाईस	3,50,000
4.	4 नं० एस०एल०आर०कैमरे के साथ सम्बन्धित वस्तुएं	1,40,000
5.	छपाई यन्त्र की सम्बन्धित वस्तुएं के साथ	1,20,000
6.	एक्सपोजर मापदण्ड यन्त्र	11,100
	कुल योग:	**16,21,100**

दूर-संचार रुपये 28,84,772/-

क्र० संख्या	वस्तु	राशि
1	2	3
1.	40 नं० वाकी-टाकी यन्त्र	2,82,000
2.	10 नं० एस०एस०बी०यन्त्र	9,00,000
3.	6 नं० बैस्ट के साथ वी०डी० यू०+छापाई यन्त्र एल०एच०पी० 219 यन्त्र	15,55,772
4.	10 प्रतिशत 4नं० बैस्ट यन्त्र की बकाया राशि	1,47,000
	कुल योग	28,84,772

पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र रुपये 14,999/-

क्रं० संख्या	वस्तु	राशि
1	2	3
1.	प्रशिक्षण की किताबों की खरीद	14,999
	कुल योग	14,999

न्याय वैधिक प्रयोगशाला रुपये 4,08,699/-

क्रं० संख्या	वस्तु	राशि
1	2	3
1.	डिजिटल ईमेज प्रोसैसिंग सिस्टम	2,58,699
2.	पोरटेबल एक्स-रे-यूनिट	1,50,000
	कुल योग	4,08,699

पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) मैटल-डिटैक्टर रुपये 77,896/-

क्रं० संख्या	वस्तु	राशि
1	2	3
1.	राज्य अपराध अन्वेशन ब्यूरो	16,21,100
2.	दूर-संचार	28,84,772
3.	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र	00,14,999
4.	पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)	00,77,896
	कुल योग	50,06,466

Up-Gradation of Primary Schools

58. Shri Krishan Lal : Will the Chief Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the following Primary Schools to High Schools of District Panipat:—

(i) G.G.P.S. Bhaipur, (ii) G.P.S. Pathri;

(iii) G.G.P.S. Mandi; (iv) G.G.P.S. Sheenkh;

(v) G.P.S. Urlana Khurd ; and (vi G.P.S Mohmedpur; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) :

(क) सामान्यत: प्राथमिक विद्यालयों को केवल माध्यमिक स्तर तक ही स्तरोन्नत किया जाता है न कि सीधे ही उच्च स्तर तक। निम्नलिखित विद्यालयों को माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(i) राजकीय प्राथमिक पाठशाला पथेड़ी

(ii) राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला मण्डी

(iii) राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला सींक

(ख) विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण करने तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही विद्यालयों का स्तरोन्नत कर दिया जायेगा।

Opening of New Schools

59. Shri Krishan Lal : Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open New Primary Schools in the following Villages of District Panipat :—

(i) G.P.S. Dera Urlana;

(ii) G.G.P.S. Dahar;

(iii) G.G.P.S. Kabri

(iv) G.P.S. Nain;

(v) G.P.S. Vikas Nagar (Panipat); and

(vi) G.P.S. Ram Nagar-Jeetgarh (Garhi Sikanderpur); and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

Upgradation of Middle Schools

60. Shri Krishan Lal : Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the following Middle Schools to High

Schools of District Panipat :—

(i) G.M.S. Chandoli;
(ii) G.M.S. Balana;
(iii) G.M.S. Naubra;
(iv) G.M.S. Brahman Majra;
(v) G.M.S. Ahar;
(vi) G.M.S. Baandh; and
(vii) G.M.S. Diwana; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) :

(क) जी हां, श्री मान जी। राजकीय माध्यमिक विद्यालय चण्दोली, अहर, बलाना, नोहरा, बान्ध तथा दिवाना को स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण करने तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही इन विद्यालयों का स्तरोन्नत कर दिया जायेगा।

Upgradation of High Schools

61. Shri Krishan Lal : Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the following High Schools to Senior Secondary Schools of District Panipat:—

(i) G.H.S. Bhandari; (ii) G.H.S. Dahar;
(iii) G.H.S. Naultha; (iv) G.H.S.Bhadod;
(v) G.H.S. Seenkh; (vi) G.H.S.Pardhana;
(vii) G.H.S. Buana Lakhu (viii) G.H.S. Shahpur;
(ix) G.H.S.Kalkha ; and (x) G.H.S. Urlana Kalan; and

(b) if so, the time by which these are likely to be upgraded ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) :

(क) जी हां, श्री मान जी। राजकीय उच्च विद्यालय चौलथा, सींक तथा शाहपुर का स्तरोन्नत करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण करने तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही इन विद्यालयों को स्तरोन्नत कर दिया जायेगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

हरियाणा राज्य में गृह करों के संबंध में नई नीति बनाने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Nafe Singh Rathi and Shri Anil Vij, MLAs regarding the making of new policy in regard to the House Taxes in the State of Haryana. I admit it. Shri Nafe Singh Rathi may read his notice.

श्री धर्मवीर सिंह : सर, हमारी भी सिवानी फीडर के बारे में काल अटैंशन मोशन थी उसका क्या हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में मैटर अन्डर कंसीडरेशन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नफे सिंह राठी : मैं इस महान सदन का ध्यान हरियाणा राज्य में गृह करों के सम्बन्ध में नई नीति बनाने, जिसे राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बनाया गया था जो एक लोकप्रिय नीति है, के सम्बन्ध में एक आवश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। परंतु जनहित में ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा राज्य में बनाई गई इस नई गृह कर नीति को ज्यादा लोकप्रिय तथा पारदर्शी बनाने के लिए उक्त नीति में कुछ संशोधनों/सुधारों की आवश्यकता है।

अत: मैं राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में सदन में एक वक्तव्य देने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं। जिन्होंने इस बारे में लिख कर दिया हुआ है उन सबको एक एक सप्लीमैंटरी अलाऊ कर देंगे। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठ जाएं। (विघ्न)

श्री नफे सिंह राठी : इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार स्व. ताऊ देवी लाल के उस नारे को चरितार्थ करती है कि लोकराज लोकलाज से चलता है। अध्यक्ष महोदय, हाऊस टैक्स की जो पोलिसी बनी है वह बहुत अच्छी पोलिसी है। स्पीकर साहब इस पालिसी के बनने से पहले गृह कर की कोई भी पोलिसी हरियाणा में नहीं थी। स्पीकर सर, जो एप्रोच वाले लोग होते थे वे अपनी मन-मर्जी से अपनी बिल्डिंग का हाउस टैक्स लगवा लिया करते थे। उस समय हालत यह थी कि जिस बिल्डिंग पर करोड़ों रुपए लगे होते थे उसका हाउस टैक्स 100 रुपए जमा करवा देते थे। यह बहुत ही अच्छी पोलिसी बनी है, मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को टैक्स न देने की आदत पड़ी हुई थी इसलिए कांग्रेस के लोगों ने 2 नवम्बर को हरियाणा बंद की काल दे दी। अध्यक्ष महोदय, 2 नवम्बर का बंद कांग्रेस के लोगों को लेकर बैठ गया। बहादुरगढ़ में माननीय हुड्डा जी गए थे और वहां पर इन्होंने माहौल खराब करने की भरपूर कोशिश की थी लेकिन हालात यह रहे कि किसी भी दुकानदार ने इनकी बात नहीं मानी और 10 बजे ही ये अपनी पुछड़ उठाकर भाग लिए। स्पीकर सर, ऐसे ही इनके साथ सांपला में हुआ और पूरा हरियाणा खुला रहा। इनके लाख कोशिश करने के बाद भी लोगों ने इनकी नहीं सुनी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चूंकि पिछले सत्र में यह स्पष्ट कहा था कि हाउस टैक्स की जो नीति बनने जा रही है इसमें अगर कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो हम जनहित के लिए उसमें संशोधन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे ये कांग्रेस के साथी जनहित के किसी भी मामले में बैठना पसन्द नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, गरीब तथा मध्यम क्षेत्र मे लोगों को इसमें

राहत देने की और आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ा बहुत संशोधन करने की जरूरत है ताकि लोगों को इसमें और राहत मिल सके। यह पोलिसी अच्छी है । अब से पहले इस तरह की कोई पोलिसी नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, कुछ खाली पड़े प्लाट्स पर भी हाउस टैक्स लगाने की बात हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि खाली पड़े प्लाट्स पर टैक्स न लगाया जाए और साथ ही टैक्सों की दरों को भी कम किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हरियाणा के शहरों में विकास कार्यों को करवाने के लिए उन्होंने दो सौ करोड़ रुपये से भी ज्यादा मंजूर किए हैं और इसकी पहली किश्त जारी भी कर दी है । बहादुरगढ़ के लिए भी साढ़े अड़तीस लाख रुपये दिए गए हैं।

डा० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कालिंग अटेंशन नोशन के अलावा उन्होंने जो बातें पढ़ी हैं क्या वह ठीक हैं ? (व्यवधान व शोर)

वक्तव्य–

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी नगर विकास राज्य मंत्री द्वारा

1. नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : सरकार ने अनुभव किया कि भूमि तथा भवनों पर कर निर्धारण की पूर्व नीति, जैसा कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 69 में प्रदत्त है जोकि उक्त अधिनियम की धारा 2 की परिभाषा के साथ पढ़ा जाना है, न तो पारदर्शी थी और न ही निष्पक्ष थी। यह अनुभव किया गया था कि इस कर का निर्धारण मनमाने ढंग से किया जाता था और किसी समय तो यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता था। यह महसूस किया गया कि जन-साधारण को कर उसके वास्तविक अंशदान से अधिक देना पड़ता है। दूसरी ओर, साधन-सम्पन्न और प्रभावशाली व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का कर निर्धारण कम दर पर करवा लेते थे। ऐसे भी मामले सामने आये जहां साधन-सम्पन्न व प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा दिया जा रहा कर, कुछ निहित कारणों से अगले पंचवर्षीय कर-निर्धारण में बढ़ने की बजाय घटता चला गया।

2. यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल रिट पैटीशन नम्बर 888 ऑफ 1996 अलमित्रा एच. पटेल बनाम भारत सरकार तथा अन्य में उस द्वारा गठित समीति की सिफारिशें स्वीकार की जोकि इस प्रकार हैं :-

> "सम्पत्ति कर स्थानीय निकायों की आय का एक प्रमुख स्रोत है। यह एक विडम्बना है कि सम्पत्ति करों को काफी कम दरों पर लागू किया जाता है तथा यह मुख्यत: किराए पर आश्रित है एवं वर्षों से इनका पुनर्निर्धारण नहीं हुआ है। अत: सम्पत्ति स्वामियों को बड़े पैमाने पर छूट मिल जाती है। सम्पत्ति कर के आंकलन के तरीके में भी कमियां हैं। आंकलन के हेतु क्षेत्रवार सम्पत्ति कर के तरीके को अपनाना चाहिए जिससे कि आंकलन समान, पारदर्शी तथा कम से कम छूट के साथ हो। पटना तथा गुजरात राज्य के सम्पत्ति कर लगाने के तरीके का अध्ययन करके वैसी व्यवस्था अपनाई जा सकती है।"

यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश थे।

[श्री सुभाष गोयल]

3. कर निर्धारण की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने और उसमें पारदर्शिता, समानता तथा निष्पक्षता लाने के लिए सरकार ने एक साधारण अंकगणितीय फार्मूले पर आधारित एक नई प्रणाली आरम्भ की है। नई प्रणाली में पारदर्शिता की झलक इस तथ्य से भी मिलती है कि हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार करदाताओं द्वारा स्वयं-कर निर्धारण की पेशकश की गई है। कर निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फील्ड स्टॉफ को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। प्रथम बार कर निर्धारण के विवरण को कम्प्यूटराईज किया गया ताकि साधन-सम्पन्न व प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए आंकड़ों में किसी भी प्रकार के रद्दोबदल व अनुचित कार्य की सम्भावनाओं को नकारा जा सके। यह आशा की जाती है कि इस कर की वसूली में धीरे-धीरे सुधार होगा क्योंकि यह सारी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी व कम्प्यूटरीकृत है।

4. कर निर्धारण प्रक्रिया की व्याख्या करने एवं जन-साधारण के सहयोग की अपेक्षा के दृष्टिगत, मैंने स्वयं जुलाई माह में जिला मुख्यालयों का दौरा किया तथा सदन के सम्मानित सदस्यों, पालिकाओं के प्रधानों, उप-प्रधानों तथा अन्य चुने हुए सदस्यों व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श किया। मैंने पालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को समूची प्रक्रिया का विवरण देते हुए पत्र भी लिखे थे।

5. नगरपालिका कानून के अनुसार प्रत्येक करदाता को कर निर्धारण पर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए एक माह का समय दिया जाना होता है। इस परिस्थिति में जबकि करदाताओं को उनके एतराज आमंत्रित करने हेतू नोटिस दिये जा रहे थे सदन के नेता द्वारा सत्तापक्ष के विधायकों की बुलाई गई एक बैठक में कुछ वर्गों को राहत देने हेतु संशोधन किये जाने बारे बात उठाई गई। वहां मौजूद माननीय सदस्यों ने कर निर्धारण की प्रक्रिया को तर्कसंगत व पारदर्शी बनाने के सरकार के पग की प्रशंसा भी की थी। अत: मैंने स्वयं सदन के उन सभी सम्मानित सदस्यों जिनके विधानसभा क्षेत्रों में नगरपालिकाएं आती हैं, (सिवाय फरीदाबाद नगर निगम के जोकि एक अलग विधान द्वारा शासित है और जहां उक्त तर्कसंगत प्रक्रिया तीन वर्ष से भी अधिक समय पूर्व आरम्भ की जा चुकी है) की दो बैठकें बुलाई। उक्त बुलाई गई दोनों बैठकों में उपस्थित हुए माननीय सदस्यों के विचारों पर ध्यान देते हुए, सरकार पालिका-स्तर के चुने हुए प्रतिनिधियों व अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके जनहित में मामले पर पुन: विचार करेगी।

6. मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि हरियाणा-वासियों, चाहे वे शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में, के हित चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में सरकार के हाथों सुरक्षित हैं। सरकार का कर अकारण बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। सरकार की मंशा केवल यह है कि यह प्रक्रिया तर्कसंगत, निष्पक्ष तथा पारदर्शी हो तथा सरकार खुले मन से प्राप्त सभी सुझावों पर गौर करेगी।

क्योंकि पीछे के वक्त में विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इसमें काफी अनियमितताएं की। जो आज शोर मचा रहे हैं उन्होंने अनियमितताएं की और अपनी मर्जी के अनुसार किसी पर ज्यादा टैक्स लगा दिया, किसी पर कम लगा दिया। अब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इसमें ऐसा प्रावधान कर दिया है कि हम लोग और ये लोग भी इसमें किसी प्रकार से अनियमितता नहीं कर सकते। हमने ऐसी पॉलिसी अमैंड करके बनाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी सदस्य इसके बारे में अपनी सहमति देंगे।

श्री अध्यक्ष : मांगे राम गुप्ता जी, आप बैठ जाएं। आपने इस प्रस्ताव के बारे में कुछ लिखकर नहीं दिया है इसलिए आप इस पर नहीं बोल सकते हैं। यह प्रस्ताव श्री अनिल विज का है और इस पर वे सप्लीमैंटरी कर सकते हैं। (विघ्न) आपका प्रस्ताव कॉटन क्रॉप के बारे में है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया गया है उस पर डिसकशन होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपने कालिंग अटैंशन मोशन समय पर नहीं दिया है इसलिए आप बैठ जाइये।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया गया है उस पर डिसकशन होनी चाहिये। सरकार को हमारी पार्टी को बोलने का समय देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपने कालिंग अटैंशन मोशन समय पर नहीं दिया है इसलिए आप बैठ जाइये। अब श्री अनिल विज जी सप्लीमैंटरी करेंगे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, अभी हाउस टैक्स के मामले पर मंत्री महोदय ने बहुत विस्तार से अपना उत्तर दिया । यह बात ठीक है कि हाउस टैक्स के पहले ऐसी कोई पोलिसी न होने की वजह से एक लम्बे अर्से से इसमें काफी भेदभाव हो रहा था। सरकार ने आखिरकार एक अच्छा कदम उठाया और एक यूनिफार्म हाउस टैक्स पोलिसी बनाई। लेकिन मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं और इस बात को मैंने पिछले सदन में भी कहा था कि इस हाउस टैक्स पोलिसी में काफी डिस्क्रिपैंसिज हैं उनको दूर किया जाना चाहिये। जब पिछले सदन में हाउस टैक्स के बारे में बिल प्रस्तुत किया गया था तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि जिस भी माननीय सदस्य के अच्छे सुझाव आयेंगे उनको इसमे शामिल किया जायेगा और इस पोलिसी को ठीक किया जायेगा मैं इस बात की सराहना करता हूं। इस बारे में सरकार ने सभी विधायकों की बैठक भी बुलाई थी उस बैठक में कुछ विधायक शामिल नहीं हुये और जो विधायक शामिल हुये उन्होंने उस बैठक में अपने कुछ सुझाव रखे जो डिस्क्रिपैंसिज हैं उनके बारे में सरकार को अवगत कराया। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, यह जो नीति बनाई गई है उसके तहत जो हाउस टैक्स लगाया गया है इससे 60 प्रतिशत लोगों का टैक्स पहले से डबल हो गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, डबल नहीं बल्कि दस गुणा टैक्स बढ़ गया है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरे पास सारे आंकड़े हैं कुछ लोगों का दस गुणा हो गया होगा जो पहले चोरी करते थे (हंसी) दस गुणा तो पहले बढ़ा करता था। हम तो इस पर सकारात्मक डिसकशन कर रहे हैं। हमने जो अपने सुझाव दिये थे उसका उत्तर जानना चाहते हैं। इस हाउस टैक्स में जो डिस्क्रिपैंसिज हैं, वह यह है कि जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्ज हैं उनको इस हाउस टैक्स पोलिसी में 50 प्रतिशत स्पेशल रिबेट नहीं दिया गया क्योंकि जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्ज हैं वे पहले ही कलैक्टर रेट दे रही है जो रेजीडैंशियल से कई गुणा ज्यादा है और वह भी अब डबल हो गया है । क्योंकि उनको इस पर रिबेट नहीं मिला है। इससे यह ज्यादा हो गया है और इसमें जो ओपन लैण्ड रह गई है वह भी टैक्सेबल हो गई है because land component has been added to it. इस डिस्क्रिपैंसी को बन्द किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हाउस टैक्स की जो

[श्री अनिल विज]

नोटिफिकेशन भेजी गई है उसमें जो टैक्स है वह पहली अप्रैल 2000 से मार्च 2001 तक का है तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या यह विद रिट्रोसपैक्टिव इफैक्ट लगाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अन्य बात कहना चाहता हूं कि जो छोटे मकान हैं यानि जो 50 गज, 60 गज या 70 गज जमीन पर बने हुए हैं और जिन्होंने मुश्किल से मकान बनाए हैं, उनको यह सरकार क्या रिलीफ देना चाहती है, विडोज को, एक्स-सर्विसमैन और हैंडीकैप्ट को यह सरकार क्या रिलीफ देना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो कहा है कि हम इन सुझावों पर गौर करेंगे तो यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी।

श्री अध्यक्ष : गोयल साहब, आप इकट्ठा जवाब दे देना अभी और सप्लीमैंट्री पूछने दें।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी हाउस टैक्स के बारे में अपना कालिंग अटैंशन दिया था । मैं सभी सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले सैशन में जब हाउस टैक्स बिल आया था तब भी हमने इस बारे में आपत्तियां उठाई थी। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था वह मजबूरन हमें करना पड़ा था। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहूंगा कि अगर वे हाउस टैक्स के बारे में इतने गम्भीर थे और चाहते थे कि इससे हरियाणा की जनता को राहत मिले तो जब हाउस टैक्स बिल पिछले सत्र में आया था उस समय इन को इस पर चर्चा करनी चाहिए थी क्योंकि बिल आने से एक दो दिन पहले बिल की कापियां सबको दे दी जाती हैं। उस समय इनको वाक आउट करके नहीं जाना चाहिए था । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस के साथियों की गम्भीरता इस हाउस को बताना चाहता हूं। हरियाणा के लोगों ने हमको यहां इसलिए भेजा है कि हाउस के अन्दर उनके हितों की रक्षा हम कर सकें। जब भी कोई बिल ऐसा आए जो जन विरोधी हो तो हमें जनता की बात यहां कहनी चाहिए।

चौधरी भजन लाल : लेकिन ये सुनते कहां हैं।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : ये सुनें या न सुनें लेकिन जनता की बात यहां कहने का हमारा फर्ज बनता है। हम दो जगहों पर जनता की बात कह सकते हैं एक तो विधान सभा में और दूसरा जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए उसमें जनता की बात कह सकते हैं। कोई उस सर्वदलीय बैठक में जाए या न जाए यह अलग बात है। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और उसमें कोई जनहित का मामला हो तो जनता की बात कहने के लिए हम सबको उस बैठक में जाना चाहिए न कि उससे बचना चाहिए। एक बात और कांग्रेस के मित्रों ने 2 तारीख को बन्द का आह्वान किया (शोर एवं व्यवधान)। मैं इस महान सदन को बताना चाहूंगा कि हाउस टैक्स के बारे में मेरे कांग्रेस के मित्र कितने गम्भीर है और इनमें कितनी एकता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : हम आपसे ज्यादा गम्भीर हैं।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया लेकिन कांग्रेस के भाईयों का बंद सफल नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने बंद के बारे में व्यापारियों से पहले बात नहीं की।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, कृष्ण पाल जी कैसे कह रहे हैं कि हमारा बंद सफल नहीं हुआ। हमने जो बंद किया था वह सफल हुआ है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी प्लीज आप अपनी सीट पर बैठें।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। जय प्रकाश जी प्लीज आप बैठें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि इनका बंद सफल इसलिए नहीं हुआ कि बी. जे. पी. वालों ने इनका साथ नहीं दिया और शहरों के अंदर बी.जे.पी. का होल्ड है, यह कैप्टन साहब की स्टेटमैंट है। इसका मतलब यह हुआ कि शहर में रहने वाले लोगों को कांग्रेस वाले अपना सलर्थक नहीं मानते।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, कृष्ण पाल जी को किसने कहा कि हमारा बंद असफल रहा।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण अखबार में पढ़ा कि इनका बंद असफल रहा। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेसी भाई बाहर तो शोर मचाते रहते हैं लेकिन इनको जहां बोलना चाहिए वहां ये नहीं बोलते। इनकी विपक्ष की भूमिका हमें निभानी पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, बंद विफल होने का तीसरा कारण यह था कि इनके अपने घर में ही लड़ाई हो रही थी। एक पक्ष बंद करवा रहा था तो दूसरा पक्ष बंद खुलवा रहा था। (शोर एवं व्यवधान) मैं तो इतना कह रहा हूं कि इनकी आपसी लड़ाई से हरियाणा की जनता का कितना हित हुआ है। हरियाणा की जनता इस मुद्दे पर भारी गंभीर है। इन्होंने आपसी गुटबाजी के कारण अपनी पार्टी का तो बेड़ा गर्क किया ही साथ में हरियाणा की जनता का भी बेड़ा गर्क किया है। हरियाणा की जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। जो हरकत इन्होंने की उससे हरियाणा की जनता को भी काफी परेशानी हुई। (शोर एवं व्यवधान)

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, गुर्जर साहब ऐसे ही अनापशनाप बात कर रहे हैं।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : राव साहब मैं मौजूदा हाउस टैक्स नीति का समर्थन नहीं कर रहा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब आप चेयर के माध्यम से अपनी बात कहें। सीधे न बोलें।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने बी.जे.पी. के विरोध के बावजूद भी बंद सफल करके दिखाया है अगर बी.जे.पी. में हिम्मत है तो ये भी बंद करके दिखायें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने हमेशा ही मौजूदा हाउस टैक्स नीति का विरोध किया है और आज भी मैं उसी बात पर आ रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब आप सप्लीमैंटरी करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, राव इन्द्रजीत सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं लेकिन कैप्टन अजय सिंह जी इनको कांग्रेसी मानते ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा घर का मामला है और बंद के समय सारे कांग्रेसी एक थे। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव :अध्यक्ष महोदय, *******

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, *******

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब और जय प्रकाश जो जो कुछ मेरी परमिशन के बगैर बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जावे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात बड़े दुःख के साथ कहनी पड़ रही है कि कांग्रेसी भाईयों ने बंद को गंभीरता से नहीं लिया और इनका बंद असफल रहा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता में नई हाउस टैक्स नीति को लेकर बड़ा आक्रोश है। नगर निगमों को इससे अलग छोड़ दिया है। मैं सदन के नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या फरिदाबाद के अंदर अमीर लोग नहीं रहते, पंचकुला के अंदर अमीर लोग नहीं रहते। गुड़गांव हरियाणा का ऐ क्लास सीटी है क्या वहां अमीर आदमी नहीं रहते। मौजूदा सरकार नई हाउस टैक्स नीति से नगर निगमों को बाहर रखना चाहती है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एक प्रदेश में दो तरह के नियम कैसे चलेंगे ? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी मौजूदा हाउस टैक्स नीति के खिलाफ शुरू से ही आवाज उठाती आ रही है। हरियाणा के अंदर जितना हाउस टैक्स बढ़ाया गया है यदि उस सारे के बारे में मैं बोलूंगा तो काफी समय लग जायेगा। मैं उसका पूरा रिकार्ड लेकर आया हूं। अभी मेरे साथी अनिल विज कह रहे थे कि इस हाउस टैक्स नीति से टैक्स जस्ट डबल हुआ है लेकिन यह डबल नहीं मैं कहना चाहता हूं कि 1976-77, 1981-82, 1983-84, 1984-85, 1989-90 और 1994-95 में जो हाउस टैक्स का रेट था उनको बताने लगूं तो बहुत समय लगेगा। 1999-2000, 2000-2001 में हाउस टैक्स की जो पॉलिसी लागू की गई है जो R.C.C. का कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वह 200 रुपये हो गया है जो पहले 60 रुपये होता था इस तरह से हाउस टैक्स डबल नहीं बल्कि 10 गुणा से 20 गुणा बढ़ा है। उसका कारण यह है कि जो खाली जमीन है जिस पर पहले 60 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति यार्ड के हिसाब से टैक्स लेते थे यदि अब उस जमीन की मार्किट वैल्यू 15000 रुपये है तो अब उस पर 7500 रुपये टैक्स लिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब आप प्रश्न पूछें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस टैक्स नीति पर पहले भी काफी बोल चुका हूं यदि अब दोबारा बोलूंगा तो काफी समय लगेगा। मैं यह मानता हूं कि मौजूदा हाउस टैक्स पॉलिसी ट्रांसपेरैंट है लेकिन इसको लागू करने से हरियाणा की जनता में काफी आक्रोश है। इससे हरियाणा की जनता की कमर टूट गई है। हरियाणा की जनता हाउस टैक्स भरने के काबिल नहीं

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

है इसलिए इस पर दोबारा से विचार होना चाहिए। कॉमर्शियल बिल्डिंग्ज पर भी 10 गुणा से 20 गुणा हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया है। मौजूदा सरकार ने मार्किट वैल्यू 5000 रुपये से लेकर 15000 रुपये प्रति स्कवेयर यार्ड लगा दी है इस तरह हाउस टैक्स कई गुणा बढ़ गया है। रैंटल पर पहले एक महीने का किराया मल्टीप्लाई 12 महीने का किराया और उस पर साढ़े बारह प्रतिशत मेंटीनैंस चार्जिज डिस्काउंट देकर 10 प्रतिशत टैक्स चार्जिज लेते थे और अब उस पर भी कामर्शियल रेट लिया जायेगा। वैसे ही हरियाणा प्रदेश में आज मंदे की मार है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्यान पढ़ा था उन्होंने कहा था कि हरियाणा में जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन वास्तव में आज हरियाणा में जमीनों की कीमत कम हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से फरीदाबाद में झुग्गी की एक भी कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं बिकी है, कोई भी उन बिल्डिंगों की बोली लगाने नहीं आया। मेरा सवाल यह है कि यह सब इसलिए हो रहा है कि पहले हाउस टैक्स 60 रुपये फीट के हिसाब से लगता था उसको इस सरकार ने बढ़ाकर 200 रुपये फीट कर दिया है। इसी तरह पुरानी बिल्डिंग पर पहले हाउस टैक्स 40 रुपये फीट के हिसाब से लगता था वह अब 100 रुपये फीट कर दिया गया है। पहले हर पांच साल बाद हाउस टैक्स में 25 प्रतिशत की वृद्धि होती थी। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो. संपत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, गुर्जर साहब कालिंग अटैंशन मोशन पर स्टेटमैंट दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब प्लीज आप बैठें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर साहब, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। शहरों के अन्दर जो लाल डोरे के अन्दर मकान थे उन पर प्रति कमरा 20 रुपये से लेकर 40 रुपये तक हाउस टैक्स लगता था लेकिन जो सैक्टरों में मकान थे उन पर 55 पैसे से लेकर 1 रुपये तक प्रति स्कवेयर फीट के हिसाब से टैक्स लगता था।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सबमिशन करें। इस बारे में स्पष्टीकरण तो सरकार देगी । केवल आप अपनी सप्लीनेन्टरी पूछें। जरूरी नहीं कि आप जो कह रहे हैं वह आथेन्टिक ही हो। आप ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं इस बारे में तो गवर्नमैंट ही स्पष्टीकरण दे सकती है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर साहब, मैं यह कर रहा हूं कि ओपन लैण्ड होने से जो कोस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन है और जो जमीन की कीमत है उस बारे में पहले पोलिसी कुछ और थी और अब कुछ और पोलिसी लागू कर दी गई जिससे कई गुना टैक्स बढ़ गया है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये जो भारी बढ़ौतरी करने जा रहे हैं और यह जो जन विरोधी बिल पिछले विधान सभा सैशन में लेकर आऐ थे वह ठीक नहीं है। इन्होंने यहां पर कहा कि उस बिल के बारे में सभी को अपने विचार देने के लिए बुलाया गया था।

श्री अध्यक्ष : कृष्ण पाल जी आप भाषण न दें, आप केवल अपनी सप्लीमेन्टरी पूछें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर साहब, सभी सदस्यों को बुलाये जाने के बारे में मेरा यह कहना है कि इन्होंने मुझे इस मीटिंग में बुलाने के काबिल नहीं समझा। जो विधायक शहरी क्षेत्र से ताल्लुक रखता है उसको भी मीटिंग में बुलाया जाना इन्होंने ठीक नहीं समझा। इन्होंने

[श्री कृष्ण पाल गुर्जर]

मुझे हाउस टैक्स संबंधित जो मीटिंगें की उनमें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया। (शोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इस टैक्स की बढ़ौतरी से सारे हरियाणा की जनता दु:खी और पीड़ित है क्योंकि हरियाणा की जनता इस टैक्स को जमा कराने में असमर्थ है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं क्या सरकार उस पर पुनर्विचार करेगी ताकि हरियाणा की जनता को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि इस हाउस टैक्स के मामले में हमारी पार्टी के सदस्य श्री मांगेराम गुप्ता जी बोलेंगे। आप हमारी तरफ से इस संबंध में गुप्ता जी को बोलने का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि क्या कालिंग अटैंशन मोशन पर कोई मैम्बर सवाल पूछ सकता है या उस पर स्टेटमैंट दे सकता है। इस बारे में कृपया आप अपनी रूलिंग देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : केवल प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, फिर इस बारे में कोई भी सदस्य केवल प्रश्न के हिसाब से ही प्रश्न पूछे न कि यहां पर स्टेटमैंट दें। इनको हाउस की गरिमा बनाये रखते हुए केवल सप्लीमैंटरी पूछनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : रूल्ज के हिसाब से तो एक सप्लीमेन्टरी पूछी जा सकती है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इस पर बहुत देर से डिस्कशन हो रही है। अगर हम इस पर 2 मिनट बोल लेंगे तो क्या कोई तकलीफ हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : बोलने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है चाहे आप 5 मिनट बोलें लेकिन सवाल पूछें।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरी पहली बात तो यह है कि मंत्री महोदय ने इस बारे में जो ब्यान दिया था मैं समझता हूं कि उसमें जो बेसिक बात थी वह गलत थी। ये प्रोपर्टी हाउस टैक्स का जिक्र कर रहे थे। इस बारे में सरकार दोबारा से शहरों में जो प्रोपर्टी है उस पर टैक्स लगाए, उस बारे में जो ये पोलिसी बनाएंगे उसका हम विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे यह बाद की बात है। दरअसल यह बात हाउस टैक्स की थी। House Tax is not a property Tax. It is not an Income Tax. यह हाउस टैक्स केवल इसी बात पर था कि म्युनिसिपल कमेटी बने हुए मकानों पर जो फैसेलिटीज़ देती है उस पर कुछ चार्जिज लिए जाते हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, अगर आप इस पर मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दें तो मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। स्पीकर साहब क्या शहर में मकान बनाना गुनाह हो गया। गुर्जर साहब तो कह रहे थे कि 10 परसैन्ट टैक्स बढ़ गया।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी आप केवल सप्लीमैन्टरी पूछें। (शोर एवं विघ्न)

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : जब आप से सुझाव मांगे गए थे उस वक्त तो आप सुझाव देने के लिए आए नहीं।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा साहब, ठीक कह रहे हैं कि मंत्री जी ने हमें बुलाया था। हम लोग उस मीटिंग में क्यों नहीं आये उस बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उस मीटिंग में इसलिए नहीं आए कि मंत्री जी को * * * * * नहीं थी। मंत्री जी ने दो बार इस संबंध में मीटिंग बुलाई और दोनों बार केस मुख्यमंत्री जी को रैफर कर दिया।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी के बारे में जो शब्द कहे है रिकार्ड न किया जाये।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, वह तो रिकार्ड की बात है। (शोर एवं विघ्न) मैं क्या गलत कह रहा हूं। स्पीकर साहब, दट इज रौंग इन माई लैंग्वेज। मैं यह कह रहा हूं कि मंत्री जी ने दो बार सुझाव देने के लिए मीटिंग बुलाई। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : क्या इन्होंने आपको उस मीटिंग में बुलाया था या नहीं बुलाया था।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, आप मेरा जवाब भी तो सुन लें, आप मुझे पहले ही बीच में रोक रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि हम लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं कि 'मैं आपके सुझाव मुख्य मंत्री जी के सामने रखूंगा और फैसला मुख्य मंत्री जी ने लेना है।' आप यह बताईये कि हम इनके पास पहले जाएं या मुख्य मंत्री जी के पास जाएं। आज हमें ये ऑफर कर रहे हैं। अगर मुख्य मंत्री जी बैठक बुलाते तो हम लोग आते। (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मांगे राम गुप्ता जी बार-बार कह रहे हैं कि मंत्री जी को पावर नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंत्री जी इसको मंत्री मण्डल में पास करवा के हाउस में ले कर आते। क्योंकि हाउस में पहले यह ऐक्ट पास हुआ था। मंत्री मण्डल के जो मंत्री हैं वे सुझाव लेते हैं और सुझाव लेने के बाद कैबिनेट में ले जाते हैं और with the approval of the Chief Minister यह हो जाता है। पहले यह कैबिनेट में जाता है और कैबिनेट से approve हो कर बाद में ordinance होगा या इसको असैम्बली में पास करवाना पड़ेगा। लेकिन यह तो सही है कि सुझाव तो पहले मंत्री ही सुनेगा और वह मंत्री ही उसको move करेगा। स्पीकर सर, मांगे राम गुप्ता जी तो खुद मंत्री रहे हैं इसलिए इनको पता ही है कि कन्सर्न्ड डिपार्टमैंट के द्वारा मंत्री ही इसको मूव करेगा। मंत्री सुझाव लेते हैं और जो इनके अच्छे सुझाव होते हैं उनको डिपार्टमैंट वैरीफाई कर के और जांच करके मान लेता है और उसके बाद वह कैबिनेट में आता है और उसके बाद आर्डिनैंस होता है या फिर असैम्बली में आता है, यह सारी प्रक्रिया है और इसके बारे में मांगे राम जी खुद जानते हैं क्योंकि इस सारी प्रक्रिया से ये खुद निकले हुए हैं। यह कहना कि मंत्री जी को पावर नहीं है, यह ठीक नहीं है। अपने डिपार्टमैंट के बारे में मंत्री को पूरी पावर्ज हैं इसलिए उन्होंने सुझाव मांगे, उनको पूरी तरह से authorise किया हुआ था। यह अखबारों में भी पब्लिश किया गया था कि अर्बन डिवैल्पमैंट मिनिस्टर को एथोराईज़ किया गया है कि वे पूरे सुझाव सुनें और उसके बाद मुख्य मंत्री को सुझाव भेजेंगे और मुख्य मन्त्री जी उन सुझावों को मानेंगें। इस बारे में मुख्य मन्त्री जी की खुद की स्टेटमैंट आई थी। अध्यक्ष महोदय, इससे भी कानूनी और क्या पावर होगी ? खुद मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वे उनके सुझाव मानेंगे। इसके बावजूद भी वे ऐसी बात कह रहे हैं। स्पीकर साहब, आप इनसे यह कहें कि ये सीधे प्रश्न पूछ लें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * *

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) इनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाए (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें। श्री मांगे राम जी, आप सप्लीमैंट्री पूछें।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि शहरों में जो लोग मकान बना रहे हैं उन पर म्यूनिसिपिल कमेटी हाउस टैक्स की पॉलिसी लागू कर रही है, क्या लोग टैक्स नहीं दे रहे थे ? यह टैक्स आपकी म्यूनिसिपिल कमेटी ले रही है या नहीं, इस बारे में मंत्री जी नोट कर लें और अपने जवाब में बता दें। अध्यक्ष महोदय, शहर में मकान बनाने के लिए उन्होंने प्लॉट खरीदा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप सवाल पूछें भाषण न दें।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है ? आपने भी पानीपत में कोठी बना रखी है, जब आपको इस पॉलिसी के तहत हाउस टैक्स आएगा तो आपको भी पता लग जाएगा। (विघ्न) कोई ऐसी बात नहीं है यह आप पर भी बराबर लागू होगा। स्पीकर सर, मैं कोई अनुचित बात नहीं कह रहा हूं।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप इनको यह कहें कि ये कालिंग अटैंशन मोशन पर सवाल पूछें भाषण न दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो प्लॉट हमने या आपने खरीदा उस पर गवर्नमैंट रैवेन्यू और खर्चा आप 12% या 13% देते हैं उसके बाद 3% म्यूनिसिपैलिटी चार्जिज अलग से लगते हैं। 13% रैवैन्यू जमीन पर हर जगह लगता है और 3% चार्जिज म्यूनिसिपैलिटीज़ अलग से चार्ज करती हैं। उसके बाद जो नक्शा पास करवाते हैं 60/- रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से डिवैल्पमैंट चार्जिज वसूल करते हैं। (विघ्न) यह मेरे तेरे का सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, फिर जब उस प्लॉट पर मकान बनाएंगे तो मैटीरियल वगैरह का और मलबा टैक्स लेते हैं। स्पीकर सर, जब हाउस कम्पलीट हो गया तो उस पर बिजली का कनैक्शन लेंगे। उस कनैक्शन पर 25/- रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से उस मकान पर और चार्ज करेंगे। (विघ्न) मैंने हाउस बनाया है इसी लिए हाउस टैक्स मुझ पर लगा रहे हैं। अगर मैं हाउस नहीं बनाता तो फिर मुझ पर किस चीज का टैक्स लगाएंगे (विघ्न) जो कुछ चार्ज किया जा रहा है मैं उसके बारे में ही बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पानी की टूटी खरीदोगे तो भी सेल टैक्स लगेगा।

श्री मांगे राम गुप्ता : सर, मैं हाउस टैक्स की बात कर रहा हूं। मुझे ऐसे ही मत बहकाओ। मैं गुमराह नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : मांगे राम गुप्ता जी आप सेठ लोग भी तो टैक्स लेते हो।

श्री मांगे राम गुप्ता : सर, यह सेठाई के नाम का तो थमने ठेका उठा रखा है, मने पता है थारी सेठाई का। ऐसी बात नहीं है थम भी शहरों में आ गए हो। थम सबने जो शानदार कोठियां बना रखी है जब टैक्स लगेगा तब पता चलेगा। स्पीकर सर, आज किसी का ईंट का फर्श हो तो उस पर 150/- रुपये स्कवेयर यार्ड और मार्बल का फर्श हो तो 300/- रुपये स्कवेयर यार्ड के हिसाब से टैक्स लगेगा। आपने तो सारे बढ़िया मार्बल के फर्श बना रखे हैं। हम यह नहीं चलने देंगे कि कहीं थम उसके 150/-रुपये का रेट लगवा कर टैक्स जमा करवा दें।

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी आप यह बताएं कि चुंगी खत्म करने के बाद स्टेट में कुछ डिवैल्पमैंट करनी है की नहीं करनी है।

श्री मांगे राम गुप्ता : हम तो कहते हैं कि आप चुंगी नही चुगें लगा दो। (हंसी) लेकिन इसको विदड्रा कर लो। अगर हरियाणा के हित की बात है तो कई चुंगे लगा दो सभी लोग चाहते हैं। आप चुंगी की आड़ में हाउस टैक्स लगाकर लोगों का सत्यानाश न करो। आज शहरों मे लोगों को मकान बनाना गुनाह हो गया है।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण न दें, आप प्रश्न पूछें। (शोर) गुप्ता जी आप बैठें, आपकी बात खत्म हो गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बिजली का कनैक्शन लेता है तो उससे उसके लिए 25 रुपए गज के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। अगर कोई सीवरेज का कनैक्शन लेगा तो उसकी सिक्योरिटी अलग होगी और मंथली चार्जिज अलग होंगे। अगर कोई वाटर सप्लाई का कनैक्शन लेगा तो उस पर सिक्योरिटी अलग होगी और वाटर चार्जिज अलग होंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर ये गली में रोशनी देते हैं तो उसके लिए भी ये पांच पैसे पर यूनिट के हिसाब से अलग से चार्ज करते हैं। म्यूनिसिपैलिटी ने शहरों में मकान बनाने वालों को ऐसी कौन सी फैसिलिटी दे दी जिसके कारण आपको इतना बड़ा टैक्स लगाना पड़ गया।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : मांगे राम जी आप प्रश्न पर आ जाएं तो ज्यादा बैटर रहेगा। आप भाषण देना छोड़ दें प्रश्न पर आ जाएं और आप हमारे से उसका जवाब ले लेना। (विघ्न) हम आपको पूरी अच्छी तरह से जवाब दे देंगे । आप अपना प्रश्न पूछें। (विघ्न) आप किसी भी तरह की चिन्ता न करें।

श्री मांगे राम गुप्ता : मैंने तो भाषण दे दे कर छोड़ दिए इब भाषण छोड़ दिए थारे जिम्मे। थमनै तो तब पता लगेगा जब जनता के बीच में जाओगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर यह हाउस टैक्स नहीं हटाया तो .....

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी आप बैठ जाएं, मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मुझे हैरानी है कि श्री मांगे राम गुप्ता इतने जिम्मेवार आदमी हैं और ये इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहूंगा कि यह कोई भाषण देने का मंच नहीं है। ये अपनी सप्लीमैंटरी पूछें। इस तरह ये हाउस का समय बर्बाद कर रहें हैं। मांगे राम जी आपके पास कोई सुझाव नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई नीति नहीं है। आपको काल अटैंशन मोशन पर पता नहीं कि कौन प्रश्न पूछ सकते हैं ? काल अटैंशन मोशन पर वे ही प्रश्न पूछ सकते हैं जो सिगनेटरी होते हैं। आप सिगनेटरी भी नहीं है फिर भी आपको प्रश्न पूछने की छूट दे दी, क्या यह थोड़ी बात है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि काल अटैंशन मोशन पर दो ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये भाषण ही दिए जा रहे हैं। इस समय पांच बज गए हैं, यह क्या बात हुई। ये हमें कह रहे हैं कि जनता के बीच में जाओगे तो पता चलेगा। क्या जनता का पता नहीं हमें, जनता ने ही तो आपको साफ करके उधर बिठा दिया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, एक सप्लीमैंटरी की बजाए आपकी अनेक सप्लीमैंटरीज हो गई हैं। (विघ्न) गुप्ता जी आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप यूं न करें। यह कोई भाषण का समय नहीं है आप बैठ जाएं। आपने जो सुझाव देने थे वे दे दिए अब आप बैठ जाएं। (विघ्न) नहीं नहीं आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपके सुझाव हो गए। (विघ्न) अब आप कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं आपकी एक सप्लीमैंटरी हो गई है। आप बैठ जाएं।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, ये सुझाव नहीं दे सकते हैं, ये केवल प्रश्न ही पूछ सकते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी आप बैठ जाएं। कर्ण सिंह दलाल जी आप अपना प्रश्न पूछ लें लेकिन कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय के बारे में सदन में चर्चा चल रही है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है । इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस हाउस टैक्स को लेकर प्रदेश के लोगों में बहुत भारी बेचैनी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से एक सवाल भी है और मैं उनको एक सुझाव भी देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार की अगर हिम्मत है और ये जो विधायकों को मीटिंग में बुलाते हैं कि सुझाव दो तो उस बारे में मेरा इनको यह कहना है कि ये उन सारे सुझावों को लेकर, उनकी सारी समस्याओं को लेकर उन पर विचार करें। आज इन्होंने यहां पर गुजरात और पटना राज्य के सम्पत्ति लगाने के तरीके के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है उस का जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, कांस्टीच्युशन में 72 वां और 73 वां संशोधन करके भारत की पार्लियामैंट ने यह कोशिश की कि गांवो को और म्युनिसिपल कमेटीज को पूरा अधिकार दिया जाए कि वे अपने तरीके से वहां शासन चला सकें। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी हमारे संविधान की मान्यताओं को देखते हुए, प्रदेश के लोगों की जरूरतों को देखते हुए और विधायकों की सिफारिशों को देखते हुए क्या सदन की एक कमेटी बनाने के ऊपर विचार करेंगे। सदन की एक कमेटी बने और उसमें सभी दलों के सदस्य लिए जाएं। इसके अलावा हरियाणा के बड़े जो नगर हैं वहां के पार्षदों को भी उस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। वह कमेटी हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों में इस बारे में जाकर देखे। (विघ्न) स्पीकर सर, इस * * सरकार को यह बताना चाहता हूं कि वह इस बारे में अवश्य सोचें।

श्री अध्यक्ष : यह अनपर्लियामैंटरी शब्द कार्यवाही में रिकार्ड न किया जाए। दलाल साहब, अब आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, आप मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दें। आप बताएं कि क्या मेरा सवाल पूरा हो गया ?

श्री अध्यक्ष : हां, आपका सवाल पूरा हो गया। अब आप बैठें

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, एक अहम विषय था जिस पर था तो कालिंग अंटेशन मोशन लेकिन इस पर बहुत लम्बे चौड़े भाषण भी दिये गये। एक घंटे से ऊपर समय इस पर लगाया गया। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तो उससे पहले म्यूनिसिपल कमेटीज में हाउस टैक्स की कोई पोलिसी नहीं थी और कई राजनीतिक दलों की

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

तरफ से चुनाव घोषणा पत्र में यह मांग की गयी थी कि चुंगी समाप्त कर दी जाए। उन दलों की साढ़े तीन साल सरकार भी रही लेकिन उस मुद्दे के चुनाव घोषणा पत्र में दर्ज होने के बावजूद भी उन्होंने चुंगी समाप्त नहीं की। पहले चुंगी की आड़ लेकर जो शहरियों को अपमानित किया जाता था, हमारी सरकार सत्ता में आते ही हमने उस चुंगी को समाप्त किया। चुनाव भी हुए। आज जो दावा करते हैं और जो हरियाणा बंद की कॉल देकर पूर्ण रूप से विफल हो गये, उन्हीं को शहरी मतदाता ने पूर्ण रूप से धराशायी कर दिया था और रही सही कसर म्यूनिसिपल चुनाव में उन मतदाताओं ने पूरी कर दी थी। 95 प्रतिशत म्यूनिसिपल कमेटीज में हमारे लोग जीतकर आये हैं। हमने सभी म्यूनिसिपल कमेटीज के चुने हुए प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलायी और मीटिंग बुला कर उनसे खुलकर विचार विमर्श किया कि म्यूनिसिपल निजाम को आप कैसे चलाएंगे। शहरों में सफाई की, लाईट की, सीवरेज की, पीने के पानी की और दूसरी व्यवस्थाएं कैसे कायम की जाएं। अध्यक्ष महोदय, जो लोग यह कहने वाले थे कि हम चुंगी समाप्त कर देंगे वे भी अब यही कहते हैं कि चुंगी फिर लगा दी जाए। गुप्ता जी ने इसी सदन में अभी कहा था कि यह फिर लगा दी जाए। लेकिन हमने लोगों से कहा कि इसका निर्णय भी जनता ही करेगी हमने नहीं करना। हमने यह मामला उन लोगों पर ही छोड़ दिया कि अगर म्यूनिसिपल कमेटीज चुंगी लगाना चाहती हैं तो वे इस बारे में रैजोल्यूशन पास करें। आखिर म्यूनिसिपल निजाम को चलाने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी को निश्चित रूप से अपने टैक्स लगाने ही पड़ेंगे। चूंकि हम इंग्लैंड के कांस्टीच्यूशन को फॉलो करते हैं तो वहां पर बजट प्रस्तुत करने से पहले एक वर्ष तक वहां की जनता से उस बारे में पूछा जाता है, खुली डिस्कशन होती है कि क्या उसमें कोई दिक्कत है क्या ज्यादा टैक्स लग गये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : आप इंग्लैंड के किस कांस्टीच्यूशन की बात कर रहे हैं। वहां पर कौन सा कांस्टीच्यूशन है ?

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठे। सी.एम. साहब बोल रहे हैं। वहां का संविधान अलिखित है आप बैठ जाएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन्हें शायद ध्यान नहीं कि भारतवर्ष भी इंग्लैंड के संविधान को ही फॉलो करता है।

श्री अध्यक्ष : रघुबीर सिंह कादयान साहब, आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान) कर्ण सिंह 17.00 बजे दलाल, आप बैठ जायें। लीडर ऑफ दि हाउस बोल रहे हैं आप बैठ जाइए। (शोर एवं विघ्न)

श्री रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, अंडर रूल 73 मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है और मैं इस विषय पर आपकी रूलिंग चाहता हूं। (शोर एवं विघ्न) आप इस बारे में रूलिंग दीजिए। (शोर एवं विघ्न) हम अपने दम पर चुनकर आए हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। आपसे निवेदन है कि हाउस टैक्स का मैटर बड़ा ही सीरियस मैटर है। सारे प्रदेश में लोगों में इससे बड़ा रोष है।* * * * * * (शोर)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। भजन लाल जी, आप बैठ जाइए। आपकी बात रिकार्ड नहीं हो रही है । (शोर एवं विघ्न)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : आपको सुझाव के लिए आमंत्रित किया था, आप नहीं आए अब कम से कम हाउस में तो अपने सुझाव दे दें। पहले तो आपने बनिस्बत कटाक्ष करने के और कोई सुझाव नहीं दिए। आपने दुकानें बंद कराने का प्रतिष्ठान खोलकर लोगों की दुकानें बंद कराने के अलावा और कोई सुझाव नहीं दिये। (शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारे जिन एम.एल.एज. को हाउस टैक्स के बारे में सुझाव के लिए बुलाया गया था उसमें उन्हें यह भी लिखा गया था कि उनसे फंडामैंटल प्राईस पर सजेशन नहीं लेंगे। (विघ्न एवं शोर) जो आज आपका अखबारों में बयान आया था वह यह था कि गृह कर के बारे में सुझाव देने के लिए जो एम० एल० ए० शहरों के बुलाए थे उसमें यह लिखा था कि हम कोई सजेशन फंडामैंटल प्राईस पर नहीं लेंगे। (शोर एवं विघ्न)

श्री सुभाष गोयल : ऐसी कोई बात नहीं थी, (विघ्न व शोर) ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, हमने इतिहास पढ़ा, हम विश्वविद्यालय में पढ़े हैं और लॉ ग्रेजुएशन की लेकिन हमें आज तक यह पता नहीं लगा कि इंग्लैंड ने संविधान कब बना लिया। मुख्यमंत्री जी ने वहां संविधान की बात बताई है। इंग्लैंड में संविधान कब बना इसके बारे में आप रूलिंग दें। मुख्यमंत्री जी तो मैट्रिक पास हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल, आप बैठ जाइए। आपको ये बात पूछने की अनुमति किसने दी है। बिना अनुमति के आप यहां नहीं बोल सकते हैं। आप बैठ जाएं। (शोर एवं विघ्न) वहां अनरिटन कांस्टीच्यूशन है। (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने एक बड़ी दुविधा है कि एक बार चौधरी भजनलाल जी का सदस्य खड़ा हो जाता है और दूसरी बार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का सदस्य खड़ा हो जाता है हम इनको कैसे बैठायें। इनको आप समझाओ।

श्री रघुवीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, हमारी पार्टी ने काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया था आप हमें इस बारे में रूलिंग दें कि उस प्रस्ताव पर इस सदन में डिबेट करवायी जा सकती है या नहीं। हम इस बारे में रूलिंग चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके उस प्रस्ताव पर कोई डिबेट नहीं करवाई जा सकती। मैंने चौधरी भजन लाल जी को कहा था कि आप उस प्रस्ताव के बारे में सप्लीमैंटरी प्रश्न पूछ सकते हैं। परन्तु चौधरी भजनलाल जी ने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से श्री मांगे राम गुप्ता जी बोलेंगे। आपको तो इस बारे में चौधरी भजनलाल जी ने अथोराइज ही नहीं किया फिर आप क्यों बोल रहे हैं। इसलिए आप बैठ जाइये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, आप इस बारे में रूलिंग दीजिये।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठ जाइये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, काम रोको प्रस्ताव के बारे में अण्डर रूल 60 हाउस टैक्स के बारे में डिबेट करवाई जा सकती है या नहीं आप रूलिंग दें।

श्री अध्यक्ष : आपके उस प्रस्ताव पर कोई डिबेट नहीं करवाई जा सकती। मैंने चौधरी भजनलाल जी को कहा था कि आप उस प्रस्ताव के बारे में सप्लीमैंटरी प्रश्न पूछ सकते हैं। परन्तु चौधरी भजनलाल जी ने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से श्री मांगे राम गुप्ता जी बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मोहम्मद तुगलक भी स्नातक था (शोर एवं व्यवधान) लेकिन उससे कोई सलाह नहीं लेता था। (शोर एवं व्यवधान)

घोषणाएं-

(क) अध्यक्ष द्वारा-

(i) चेयर पर्सनज के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the panel of Chairperson:-

1. Shri Bhagwan Sahai Rawat, M.L.A.
2. Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A.
3. Shri Ajay Singh, M.L.A.
4. Smt. Sarita Narain, M.L.A.

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 303(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Committee on Petition :-

1.	Shri Gopi Chand Gahlot, Deputy Speaker	Ex-officio Chairperson
2.	Shri Bhagwan Sahai Rawat, M.L.A.	Member
3.	Smt. Veena Chhibbar, M.L.A.	"
4.	Shri Abhay Singh Chautala, M.L.A.	"
5.	Shri Zakir Hussain, M.L.A.	"

(iii) श्री चन्द्र भाटिया, एम0एल0ए0 की रिहाई

Mr.Speaker : Hon'ble Members, I have received the following communication from the Superintendent, Central Jail, Ambala:-

> "It is intimated that Shri Chander Bhatia, M.L.A., Faridabad who was confined in this jail has been released on 3-11-2001 on interim bail for a week by the order of Special Judge, Ambala (.) He has been directed to surrender in this jail on 11-11-2001 (.)"

(iV) अनुपस्थिति की अनुमति

Mr Speaker : Hon'ble Members, I have received a letter from Shri Chander Bhatia, M.L.A. which is as under :-

> "With regard I want to convey that I am under arrest in case FIR No. 6/98 u/s 395/450/506 I.P.C., P.S., C.B.I., New Delhi. At present I am on bail on medical ground and is under treatment in Escort Hospital, Faridabad. I may kindly be exempted from attending the Vidhan Sabha Session."

Is it the pleasure of the House that leave of absence be granted to Shri Chander Bhatia, M.L.A. to remain absent for the current Session of the Haryana Vidhan Sabha.

Voices : Yes.

The leave is granted.

(ख) सचिव द्वारा-

(i) *राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी।

Mr Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

श्री सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2001 तथा जून, 2001 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर *राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी। मैं सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

March Session, 2001

*1. The Societies Registration (Haryana Amendment) Bill, 2001

June Session, 2001

1. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2001.
2. The Good Conduct Prisoners Probational Release (Repeal) Bill, 2001.
3. The Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, 2001.
4. The Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 2001.
5. The Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2001.
6. The Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2001.

(ii) संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 के अनुसमर्थन के संबंध में राज्य सभा से प्राप्त दस्तावेज।

Mr. Secretary : Sir, I also beg to lay on the Table of the House a copy each of the following documents received from the Council of States regarding the ratification of the Constitution (Ninety-First Amendment) Bill, 2000 :—

1. Letter dated 11th September, 2001, received from the Joint Secretary, Rajya Sabha, New Delhi;
2. The Constitution (Ninety-First Amendment) Bill, 2000,(English and Hindi versions), as introduced in the House of People ;
3. The Constitution (Ninety-First Amendment) Bill, 2001,(English and Hindi versions), as passed by the Houses of Parliament ;
4. Lok Sabha Debate on the Constitution (Ninety-First Amendment) Bill, 2000 ; and
5. Rajya Sabha Debate on the Constitution (Ninety-First Amendment) Bill, 2000.

नियम 30 के निलम्बन के लिए नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121 for suspension of Rule 30.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 8th November, 2001.

Sir, I also beg to move-

> That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 8th November, 2001.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 8th November, 2001.
>
> And
>
> That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 8th November, 2001.

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, मैंने ब्रीच ऑफ प्रिवीलेज का नोटिस दे रखा है उसके बारे में क्या फैसला हुआ, मुझे बताएं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आज बी.ए.सी. की मीटिंग थी उसमें मैटर आया कि आज के दिन को ओफिशियल डे में तबदील किया जाएगा। इससे ज्यादती और इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि जिस दिन नॉन ओफिशियल डे हो उसको ओफिशियल डे में कन्वर्ट कर दिया गया हो। हरियाणा के इतिहास में शायद यह पहला मौका है। मैं भी 12 साल तक हरियाणा प्रदेश का मुख्य मंत्री रहा हूं। ऐसी एक भी मिसाल बता दें कि मेरे मुख्यमंत्री काल के दौरान नॉन आफिसीयल डे को सैशन असैम्बल किया हो और नॉन आफिशियल डे को आफिसियल डे में बदला गया हो। अगर ऐसी मिसाल मेरे मुख्यमंत्री काल के दौरान मिल जाये तो मैं इस सदन से अभी त्यागपत्र दे दूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, नॉन आफिशियल डे को आफिशियल डे में बदला जाये और उस दिन हाउस असैम्बल किया जाये इससे बुरी और क्या बात हो सकती है। यह मैंबरों के साथ अन्याय है, इससे पहले चौटाला साहब के कार्यकाल में भी ऐसा नहीं हुआ इसलिए मेहरबानी करके इसको तबदील न करो।

वित्त मंत्री (प्रो. संपत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने अभी कहा कि इससे पहले नॉन आफिशियल डे को सैशन असैम्बल नहीं हुआ और इस तरह नॉन आफिशियल डे को सरकारी दिवस के रूप में नहीं बदला गया, यदि पहले ऐसा हुआ हो तो विपक्ष के नेता अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे देंगे और अपने घर चले जायेंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ मैंने यह कहा था कि यदि मेरे मुख्यमंत्री काल में ऐसा हुआ हो तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. संपत सिंह : स्पीकर सर, विपक्ष के नेता अपनी बात से मुकर रहे हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है वह रिकार्ड की बात है। जो कुछ इन्होंने कहा उसकी रिकार्डिंग भी हुई है और उसको लिखा भी गया है। उसको पढ़वाकर देख लो। इन्होंने यही कहा था कि अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि नॉन आफिशियल डे को हाउस असैम्बल हुआ हो और उस दिन को आफिशियल डे में बदला गया हो। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मुख्यमंत्री काल के समय के बारे में कहा था। (शोर एवं व्यवधान) कि मैंने सैशन का पहला दिन कभी भी नॉन ऑफिशियल डे के दिन नहीं बुलाया।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. संपत सिंह : स्पीकर सर, 28-1-1999 को चौधरी बंसी लाल जी के मुख्यमंत्री काल के दौरान नॉन आफिशियल डे को सैशन बुलाया गया था और कर्ण सिंह दलाल उस समय पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मंत्री थे। उन्होंने ही उस समय स्पीकर साहब को नॉन आफिशियल डे को आफिशियल डे में बदलने के लिए रिक्वैस्ट की थी और उस समय नॉन आफिशियल डे को आफिशियल डे में कन्वर्ट किया गया था यह रिकार्ड की बात है। यह रिकार्ड 28 जनवरी, 1999 से 10 फरवरी 1999 के विशेषांक में है। स्पीकर सर, यदि विपक्ष के नेता अपनी बात कहकर मुकरें तो अलग बात है वरना इनको अपनी कही हुई बात पर कायम रहना चाहिए और त्यागपत्र देकर अपने घर चले जाना चाहिए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मुख्यमंत्री काल के समय के बारे में कहा था। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता यदि अपनी बात पर कायम रहते हैं तो इनका त्याग पत्र बनता है यदि ये अपनी बात पर कायम नहीं रहते तो अलग बात है। हम इनसे त्यागपत्र नहीं मांग रहे ये स्वयं ही कह रहे थे इसलिए हम कह रहे हैं।

Mr. Speaker : Question is :-

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 8th November, 2001.

And

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 8th November, 2001.

The motion was carried.

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं कि चौधरी भजन लाल जी ने इसमें भी कमाई की है क्योंकि ये व्यापारी हैं। (शोर)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0 एल0 ए0 द्वारा

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, प्रो0 सम्पत सिंह जी ने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं अपनी पर्सनल एक्सलेनेशन देना चाहता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आपकी पर्सनल एक्सप्लेनेशन क्या है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, पिछली सरकारों ने चाहे वह हमारी सरकार थी और चाहे वह चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी क्या वही गलती यह सरकार करेगी। स्पीकर साहब, नान औफिशियल डे विधायकों के बोलने के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है और उस दिन शिक्षा के बारे में और नहरों की व्यवस्था पर बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अगर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए सरकारी पक्ष के किसी मैम्बर की तरफ से आज कोई रैजोल्यूशन आता है तो हम प्रदेश के लोगों की भलाई के बारे में अपने सुझाव देंगे लेकिन यह सरकार हमारे से डरती है लेकिन मुझे यह पता नहीं हैं कि यह सरकार हमारे से क्यों डरती है। (शोर)

मुख्यमंत्री (ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहता था कि चौधरी भजन लाल जी ने इसमें भी कमाई की है क्योंकि ये खुद व्यापारी हैं। किसी बनिये से कोई गलती होगी तो उससे अदालत ने सजा के लिए पूछा कि आपने फांसी पर चढ़ना है या सूली पर चढ़ना है तो उसने कहा कि जिसमें मुझे फायदा है वही सजा आप मुझे दे दें। यही बात चौधरी भजन लाल जी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप असैम्बली का पिछला रिकार्ड निकलवा कर देख लें कभी इन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है और कभी इन्होंने सूसाइड करने की बात कही है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी जिन्दगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। (शोर)

बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Committee met at 11.00 A.M. on Thursday, the 8th November, 2001 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Thursday, the 8th November, 2001 at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put and on Friday, the 9th November, 2001 the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee, after some discussion, also recommends that the Business on 8th and 9th November, 2001 be transacted by the Sabha as under:-

Thursday, the 8th November, 2001	1. Obituary References
	2. Questions Hour.
	3. Motion under Rule 121 for suspension of Rule 30.
	4. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
(2.00 P.M.)	
	5. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
Friday, the 9th November, 2001	1. Questions Hour.
	2. Motion under Rule 15 regarding non-stop sitting.
	3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha *sine die*.
	4. Papers to be laid.
(9.30 A.M.)	5. Official Resolution.
	6. Legislative Business.
	7. Any other Business."

Mr Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move-

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved -

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ था जो इन्होंने अब यहां पर रख दिया है।

श्री अध्यक्ष : वहां पर जो फैसला हुआ था वह रिकार्ड पर है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर धीरपाल जी व सम्पत सिंह जी भी बैठे थे। ये तो बेचारे उस तरह है जैसे गऊ का बछिया होता है।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, इनका कोई कहना नहीं मानता, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं।

चौधरी भजन लाल : इनकी हालत बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष : वहां पर राम भक्त जी भी बैठे थे। ये किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। ये बता देंगे कि बी.ए.सी. की मीटिंग में क्या फैसला हुआ था।

चौधरी भजन लाल : मैंने बी.ए.सी. की मीटिंग में कहा था कि हाउस कम से कम 15 दिन तक चलना चाहिए और दूसरे यह कहा था कि जो नोन ओफिशियल डे है इसको ओफिशियल डे में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, जब बिजनैस ही न हो तो हाउस नहीं चला करता। आप केवल विरोध करने के लिए विरोध न करें।

चौधरी भजन लाल : आप सही बात को सही नहीं मान रहे, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। आज की मीटिंग में क्या फैसला हुआ था इस बारे में कृष्णपाल गुर्जर जी से भी पूछ लें। ये भी उस मीटिंग में मौजूद थे। ये तो आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बता देंगे कि क्या फैसला हुआ था।

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र

Mr Speaker : Now, a Minister will re-lay/lay the papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the Table—

The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2001 (Haryana Ordinance No. 2 of 2001)

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir , I beg to re-lay on the Table—

The Power Department Notification No. S.O. 156/H.A. 10/98/Ss. 23, 24, 25 and 55/99, dated the 1st July, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 186/H.A. 10/98/Ss. 23, 24 and 25/99, dated the 13th August, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 213/H.A. 10/98/Ss. 23, 24, 25 and 55/99, dated the 15th October, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 235/H.A. 10/1998/Ss. 23, 24, 25 and 55/99, dated the 15th November, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 244/H.A. 10/98/Ss. 23, 24, 25 and 55/99, dated the 30th November, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 73/H.A. 10/1998/Ss. 23, 24, 25 and 55/2000, dated the 14th June, 2000, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 78/H.A. 20/73/S. 64/2000, dated the 14th December, 2000, regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 4/Const./Art./320/Amd/2001, dated the 16th February, 2001 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2001, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 13/H.A. 20/73/S. 64/2000, dated the 22nd May, 2001, regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 2001, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir , I beg to lay on the table—

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 10/H.A. 20/73/S. 64/2001, dated the 4th April, 2001, regarding the Haryana General Sales Tax (Amendment) Rules, 2001, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 71/H.A. 20/73/S. 64/2000, dated the 19th October, 2000, regarding the Haryana General Sales Tax (Amendment) Rules, 2000,

as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 81/H.A. 20/73/S. 64/2001, dated the 14th June, 2001, regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 2001, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 151/H.A. 20/73/S. 64/2001, dated the 1st October, 2001, regarding the Haryana General Sales Tax (Sixth Amendment) Rules, 2001, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 158/H.A. 20/73/S. 64/2001, dated the 15th October, 2001, regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 2001, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 161/H.A. 20/73/S. 64/2001, dated the 15th October, 2001, regarding the Haryana General Sales Tax (Seventh Amendment) Rules, 2001, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 16/ H.A. 9/79/S.8/2001, dated the 28th June, 2001, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Rules, 2001, as required under Section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The 26th Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 1999-2000, as required under Section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 2000-2001 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 2000-2001 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 9th November, 2001.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a. m. on Friday, the *1728 hrs. 9th November, 2001).

34264—H.V.S.—H.G.P., CHD.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh